

ACTION TAKEN REPORT

Sub: Action taken report in compliance to Hon'ble NGT order dated 13.09.2022 in the matter of OA 07/2022 (CZ) and OA 12/2022 of Dr. Subhash C Pandey vs State of MP &Ors.

Hon'ble NGT on dated 15.07.2022 issued following order in the matter of OA 07/2022 (CZ) and OA 12/2022 (Dr. Subhash C Pandey v/s State of MP & Ors.:

"In view of the contention raised by the parties, we are of the view to call a report on following points:-

- i. Record of rights/possession (Khasra, Khatuni relating to the water-bodies Kaliyasot and Kerwa).*
- ii. Total area of the Reservoirs and area around the Reservoirs - plot wise, area wise.*
- iii. Status of identification of boundary and demarcation.*
- iv. Status of protection by pillars or fencing or any other suitable means to pile plantation as permissible.*
- v. Identification of encroachments and steps taken for removal of encroachments.*
- vi. Steps to maintain the water quality.*
- vii. Steps taken by the authorities to prevent discharge of untreated water into the reservoirs/water-bodies.*
- viii. Provision and status of green belt and maintenance.*
- ix. Status of identification, demarcation and protection of corridor for movement of tiger.*
- x. Action taken by the authorities to protect the risk to human life since these animals are being increasingly seen roaming in an around area adjacent to the reservoir."*

In reference to the order of Hon'ble NGT, Environment Department GOMP, vide letter dated 02/08/2022 and dated 06/10/2022 constituted a Joint committee consisting of officials of the concerned departments. The copy of the order is enclosed as **Annexure-I & II**. Accordingly a meeting and site visit of Joint committee members were organised on date 27.09.2022 and 28.09.2022. The following officers of the concerned department were present during the meeting. The photographs and attendance sheet is enclosed as **Annexure-III**.

1. Shri Alok Pathak, DFO, Bhopal
2. Shri Brajesh Sharma, Regional Officer, MPPCB Bhopal
3. Shri Manish Sharma, Tehsildar, Kolar, Bhopal
4. Shri Saiyad Parvez Ali, Nayab Tehsildar T.T. Nagar, Bhopal

5. Shri Dinesh Damde, Assistant scientific officer, MP State Wetland Authority, EPCO
6. Shri R.S. Bhadoria, SDO, Forest Department
7. Shri Avinash Sahu, SDO, Kaliyashot, MPWRD
8. Shri C.K. Sirole, Sub Engineer, Kerwa, MPWRD

The Joint committee also visited the accessible area of Kerwa and Kaliasot reservoir along with Shri Jainendra Chandel, Chemist, MPPCB Bhopal, Shri Pushpendra Kumar Gupta, Assistant Engineer, MPPCB Bhopal on dated 27/09/2022 and 28/09/2022. During the meeting of the officials of concerned department it is identified that the information related to point no. **i, ii, iii, iv, v** are concerned with Water Resource Department and District Administration, the information of point no. **vi & vii** is concern with MPPCB and Nagar Nigam, Bhopal & Gram Panchayat and the information of point no. **ix & x** is concerned with Forest department.

In this regard information as received from Water resources department, Office of Tehsildar, Tehsil - TT Nagar, Kolar and Huzur and Forest department are given as under. Also the information concerned with MPPCB is given as under:-

Point no.- i, ii, iii, iv, v

Information Provide by Water Resource Department:

Executive Engineer, Water Resource Department has provided information vide letter no. 3878 dated 10/10/2022 in reference to the point no – i, ii, iii, iv, v. The same is enclosed as **Annexure -IV**. The main points mentioned in the letter as provided by WRD are as under:-

- i. Record of rights/possession is enclosed as **Annexure-IV**.
- ii. The total submergence area is 4.82 million square meter of Kerwa reservoir and 5.295 million square meter of Kaliasot reservoir. The details of land owned by WRD are given in annexure.
- iii. The munare (pillars) were installed to show the boundary of the reservoir which are now damaged. It is being repaired time to time.
- iv. In Kerwa & Kaliasot projects there was not any provision for the providing fencing and pile foundation around the submergence area.
- v. The submergence area is inspected time to time and notices are issued for the encroachments identified. At many places encroachments have been removed.

Information Provide by office of Tehsildar, Tehsil -Huzur, District Bhopal regarding Kerwa Reservoir:

Tehsildar, Tehsil-Huzur, District Bhopal has provided information vide letter no. 794 dated 28/10/2022 in reference to the point no –iii, and v. The same is enclosed as **Annexure-V**. The main points mentioned in the letter as provided by office of Tehsildar are as under:-

- iii. The demarcation work of the villages under the submergence area of Kerwa reservoir under Tehsil-Huzur is done by the team of revenue inspector and concern gram patwari along with officials of water resource department. As per the report submitted by the team no encroachment is found within the submergence area (FTL) of Kerwa reservoir.
- v. Approximately 23-30 meter away from the FTL approx 30 hutments are constructed on the small portion of the land acquired for the Kerwa reservoir in khasra no. 40/1, of area 270.53Ha, which is known as sarotipura muhalla. One school is also constructed and operational in the same location. No encroachment is found within the submergence area (FTL) of Kerwa reservoir.

Information Provide by office of Tehsildar, Tehsil -TT Nagar, District Bhopal regarding Kaliasot Reservoir:

Tehsildar, Tehsil -TT Nagar, District Bhopal has provided information vide letter no. 416 dated 28/10/2022 in reference to the point no –iii and v. The same is enclosed as **Annexure -VI**.

- iii. A team of revenue inspector and patwari was constituted and report is obtained from the team. As per the report, after demarcation no encroachment is found within the FTL boundary of Kaliasot reservoir in Patwari halka no. 95, Village-Chandanpura under TT Nagar area.

Information Provide by office of Tehsildar, Tehsil -Kolar, District Bhopal (Kaliasot reservoir):

Tehsildar, Tehsi -Kolar, District Bhopal has provided information vide letter no. 13 dated 11/10/2022 in reference to the point no –iii, and v. The same is enclosed as **Annexure-VII**.

- iii. A team of revenue inspector and patwari was constituted and report is obtained from the team. As per the report, after demarcation no

encroachment is found within the FTL boundary of Kaliasot reservoir in Patwari halka no. 16, Village- Damkheda under Kolar area.

Information of MPPCB

Point no. vi:- Steps to maintain the water quality.

The water quality status is assessed based on the previous and current water quality analysis results and compared with the prescribed standards. There are two reservoirs namely Kerwa and Kaliasot reservoir. They are distinct water bodies having separate catchment area. The water profiles of these reservoirs are given as under. The information of source of water, its quality is described as under:-

Kerwa reservoir:-

1. The Kerwa reservoir is situated in the south western part of Bhopal, The dam is located at latitude 77°22'25" N and longitude 23°09'55".
2. The main source of water in the Kerwa reservoir is surface runoff generated due to rainfall in its catchment area. The catchment area of reservoir is about 64.5 square Km and having a gross storage capacity of 25 million cubic meter.
3. Kerwa Reservoir is used for irrigating purpose and water supply in Kolar area in Bhopal.
4. The water quality monitoring of Kerwa reservoir water is regularly performed by MPPCB as per National Water Monitoring Programme (NWMP) of Central Pollution Control Board.
5. As per National Water Monitoring Programme (NWMP) the samples are analysed for parameters such as pH, temp, conductivity, dissolved oxygen, BOD, nitrate, nitrite, Fecal coliform, total coliform, sulphate, sodium, total dissolved solids, total suspended turbidity, phenolphthalein alkalinity, total alkalinity, chloride, COD, total kjeldahl nitrogen, ammonia, hardness, calcium solids, phospahte, boron, magnesium, potassium, fluroide.
6. In view of above, the water samples collected and analysed in the last 5 years (2017-sept 2022) are compiled and tabulated as under. The water quality analysis results for the analysed parameters are shown in the term of range (result range) in the following table:

S.No.	Parameters	Unit	Result Range
1	Temperature	°C	22-30
2	Turbidity	NTU	3.6-47.3

3	pH	pH Unit	7.2-8.7
4	Sp. Conductivity	µMhos/cm.	93.8-368
5	T. Solids	mg/l	96-436
6	D. Solids	mg/l	74-240
7	S. Solids	mg/l	6-224
8	Amm. Nitrogen	mg/l	BDL
9	Nitrite Nitrogen	mg/l	BDL
10	Nitrate Nitrogen	mg/l	0.2-6.2
11	Phosphate (PO ₄)	mg/l	0.010-1.0
12	Chloride	mg/l	8.0-38.0
13	Sulphate (SO ₄)	mg/l	2.4-18.6
14	T. Alkalinity	mg/l	28-184
15	T. Hardness	mg/l	62-172
16	Calcium Hardness	mg/l	6-136
17	Magnesium H.	mg/l	BDL
18	Dissolved Oxygen	mg/l	5.2-11.6
19	B.O.D.	mg/l	0.4-1.3
20	C.O.D.	mg/l	9.2-28.8
21	Sodium	mg/l	0.7-22.3
22	Potassium	mg/l	0.02-7.0
23	T. Coliform	MPN/100ml	21-430
24	F. Coliform	MPN/100ml	1.8-39.0
25	TKN	mg/l	0.4-2.8
26	Calcium	mg/l	24.8-40.8
27	Magnesium	mg/l	1.9-13.6
28	Boron	mg/l	BDL
29	Flouride	mg/l	BDL

7. Referring the above analysis results and its concentration found in the water are within the acceptable limit as per IS:10500-2012 (drinking water standards).
8. The Analysis report of the water quality is also compared with IS:2296 (surface water standards) for the designated best uses of water. As per water quality of Kerwa reservoir the designated best use is found in B category which is suitable for outdoor bathing.
9. As per National Water Monitoring Programme (NWMP) the water samples of Kerwa reservoir are analysed for pesticides (aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, gamma-BHC, DDT, di-eldrin, endosulphanal & II, DDE, methyl parathion, malathion). As per the analysis results the pesticides are not found in the water sample.

10. The concentration of DO of Kerwa reservoir of last 05 year is graphically represented and the graph is enclosed as **Annexure-VIII**.
11. While referring the concentration of Dissolved oxygen in the water samples collected and analysed in the last 5 years (2017-2021), it shows the value between 5.2-11.6 mg/l. The concentration of DO in the reservoir water is above 3 mg/l which shows that the reservoir is having sufficient concentration of oxygen in the water to maintain its self purification capacity. Also it reflects the supporting environment for aquatic life and helpful in maintaining the ecology of reservoir.

Kaliasot reservoir:-

1. Kaliasot reservoir has been constructed across Kaliasot river near village Chuna bhatti about 4 km downstream of the existing Upper Lake in Bhopal. The reservoir is located at latitude 23°11'50" N and longitude 77°14'30".
2. The Upper lake which is located in the upstream of the Kaliasot reservoir, is the main source of water inflow into the reservoir. Apart from this, the rainfall in the catchment of kaliasot reservoir contributes a small portion to the reservoir.
3. The Catchment area of reservoir is about 381.4 square Km. Kaliasot Reservoir is used for irrigating purpose.
4. The water quality analysis of Kaliasot reservoir water is performed as per annual package monitoring programme of MPPCB.
5. As per Annual Package monitoring programme the samples are analysed for parameters pH, temp, conductivity, dissolved oxygen, BOD, nitrate, nitrite, sodium, total dissolved solids, total suspended solids, turbidity, phenolphthalein, total alkalinity, chloride, COD, total kjeldahl nitrogen, total hardness, calcium, phosphate, boron, magnesium, potassium, fluoride etc.
6. In view of above, the water samples collected and analysed in the last 3 years (2020-sept 2022) are compiled and tabulated as under. The water quality analysis results are shown in the term of range (result range) in the following table:-

S.No.	Parameters	Unit	Result Range
1	Temperature	oC	23-31
2	Turbidity	NTU	1.3-16
3	Colour	PCS	20-50
4	pH	pH Unit	7.28-8.42
5	Sp. Conductivity	µMhos/cm.	184-962.3

6	T. Solids	mg/l	136-220
7	D. Solids	mg/l	120-200
8	S. Solids	mg/l	12.0-30.0
9	Ammonium Nitrogen	mg/l	BDL
10	Nitrite Nitrogen	mg/l	BDL
11	Nitrate Nitrogen	mg/l	0.8-4.02
12	Phosphate (PO ₄)	mg/l	0-1.01
13	Chloride	mg/l	8.99-20.1
14	Sulphate (SO ₄)	mg/l	5.9-22.56
15	T. Alkalinity	mg/l	68-184
16	T. Hardness	mg/l	76-178
17	Calcium Hardness	mg/l	44-136
18	Magnesium H.	mg/l	30-62
19	Dissolved Oxygen	mg/l	6-11.3
20	B.O.D.	mg/l	0.6-2.9
21	C.O.D.	mg/l	9.6-20
22	Calcium	mg/l	17.62-37.64
23	Magnesium	mg/l	7.28-10.99
24	fluoride	mg/l	BDL
25	Sodium	mg/l	5.1-17.2
26	Potassium	mg/l	0.11-4.0
27	Boron	mg/l	BDL
28	T.K.N.	mg/l	0-3.5
29	P. Alalinity	mg/l	NIL

7. Referring the above analysis results, it is found within the acceptable limit as per IS: 10500-2012(drinking water standards).
8. The Analysis report of the water quality is also compared with IS:2296 (surface water standards) for the designated best uses of water and as per water quality of Kaliasot reservoir the designated best use is found in A category which is suitable for drinking water source without conventional treatment but after disinfection.
9. The concentration of DO of Kaliasot reservoir of last 03 years are graphically represented and the graph is enclosed as **Annexure-IX**.
10. While referring the concentration of Dissolved oxygen in the water samples collected and analysed in the last 3 years (2020- Sept 2022), it shows the value between 6.0-11.3 mg/l. The concentration of DO in the reservoir water is above 3 mg/l which shows that the reservoir is having sufficient oxygen concentration in the water to maintain its self purification capacity, Also it reflects the supporting environment for aquatic life and helpful in maintaining the ecology of reservoir.

Point no. vii:-Steps taken by the authorities to prevent discharge of untreated water into the reservoirs/water-bodies.:-

During the visit of Kerwa and Kaliasot reservoir by the joint committee no direct discharge of sewage is observed.

Kerwa reservoir –

1. There are 03 nos. of villages namely Mindora, Mindori and Kaushalpura in the catchment area of the Kerwa reservoir.
2. The population of Village-Mindora is approx 1400. It is situated approx 2.0 Km away in the N-W direction from the Kerwa reservoir. The population of Village-Mindori is approx 2500. It is situated approx 3.5 Km away in the N-W direction from the Kerwa reservoir. The population of Village-Kaushalpura is approx 200.
3. During the visit no discharge of sewage is observed in the Kerwa reservoir. Septic tank and soak pits are provided for sewage treatment.
4. The water sample of Kerwa reservoir has been collected near Kaushalpura village. The analysis report of water sample of Kerwa reservoir shows the dissolved oxygen concentration of 5.6 mg/l. The analysis report is enclosed as **Annexure-X**.
5. During the inspection a kachha drain was observed which is going towards Kerwa reservoir at Village- Kaushalpura but no discharge is observed in the drain.

Kaliasot Reservoir –

During the visit no discharge of untreated waste water into Kaliasot reservoir is observed.

Point no. viii:-Provision and status of green belt and maintenance.

In reference to the point no **viii**, the information provided by M. P. Water and Land Management Institute (WALMI, Bhopal) and Forest Department are as under:-

Kerwa Reservoir –

As per the information provided by Sub division office forest, Bhopal vide letter no 2604 dated 28/10/2022, (The copy of letter is enclosed as **Annexure-XI**), the details of plantation work done by the forest department from 2012-13 to 2022-23 is as under:-

S. No	Year	Name of Head	Name of place	Section	Area (in Ha)	No. of tress
1	2012-13	Paryavaran Vaniki	Van Mahotsav area Mindora	Revenue	10.00	2000
2	2013-14	Paryavaran Vaniki	Plantation Mindora	Revenue	10.00	5400
3	2013-14	Paryavaran Vaniki	Plantation Mindora	Revenue	12.00	5500
4	2017-18	Paryavaran Vaniki	Mixed plantation Mindora	Revenue	25.00	15000
5	2017-18	Kempa Vaikalpic Vraksha	Mindora	Revenue	5.652	6000
6	2019-20	Paryavaran Vaniki	Chandanpura, Mindora	Revenue	20.00	8000
7	2022-23	Green India Mission	Chandanpura, Mindora	P.F. 231	5.00	5000

Kaliasot Reservoir -

1. As per the information received from M. P. Water and Land Management Institute (WALMI, Bhopal) vide letter no. 1496 dated 29/04/2022, approx. 30 Ha of land is developed as botanical garden and 79.240 Ha land as forest in Kaliasot reservoir catchment area. The copy of letter is enclosed as **Annexure-XII**.
2. As per the information provided by office of Environment forest division, Bhopal (The copy of letter is enclosed as **Annexure-XIII**), the details of plantation work done by the forest department is as under:-

S. No.	Name of plantation	Year	No. of trees
1	Plantation near Kaliasot temple	2017-18	400
2	ShamshaanGhat, Mindora	2013-14	1000
3	WALMI road side, below Kaliasot dam	2011-12	2000
4	Kerwa to Kaliasot road side	2009-10	3000
5	Kaliasot road side part-1	2009-10	5000
6	Kaliasot road side part-2	2009-10	2000

Point no. ix:-Status of identification, demarcation and protection of corridor of movement of tiger.

In reference to the point no ix, the information is provided by Sub division office forest, Forest Department, Bhopal vide letter no 2435 dated 07/10/2022. The copy is enclosed as **Annexure-XIV**. The information provided by Forest Department is asunder:-

1. Tiger's corridor is identified through information of foot prints of wild animals, hunting done by tigers, scratches on trees, trap cameras, information received from villagers, information received from e-surveillance etc.
2. The munare has been installed by the forest department in the corridor of movement of tiger.
3. The wire mesh fencing of 12 feet height has been installed by the forest department at the corridor of movement of tiger and the areas where the movement of wild life is occur frequently.
4. The tiger movement area is protected by providing caution boards at various places, day and night patrolling by the crack team constituted by the forest department and the forest officials as per the roster of forest department and through e surveillance centre.
5. The 04 towers located at Maladongri, Jhiri, Miriyacate, Kalikho captures the movement of wild animal in the camera and based on this information the wild animals are protected.
6. The wild life is protected with the help of local forest staff and the forest protections committees.
7. Warning/Caution boards have been installed by Forest department in the periphery of water reservoir to protect human lifefrom wild animals.

Point no. x:-Action taken by the authorities to protect the risk to human life since these animals are being increasingly seen roaming in an around area adjacent to the reservoir.

In reference to the point no x, the information is provided by Sub division office forest, Forest Department, Bhopal vide letter no 2435 dated 07/10/2022. The information provided by Forest Department is as under:-

1. The tiger movement area is protected by providing caution boards at various places, day and night patrolling by the crack team constituted by the forest department and the forest officials as per the roster of forest department and through e surveillance centre.

2. The tiger movement area is protected by providing caution boards at various places, day and night patrolling by the forest officials and through the surveillance centre.
3. The 04 towers located at Maladongri, Jhiri, Miriyacate, Kalikho captures the movement of wild animal in the camera and based on this information the wild animals are protected.
4. Warning/Caution boards have been installed by Forest department in the periphery of water reservoir to protect human life from wild animals.
5. The wire mesh fencing of 12 feet height has been installed by the forest department at the corridor of movement of tiger and the areas where the movement of wild life is occur frequently.
6. Trap cameras have been installed by the forest department for protection of wild life animals.



(Nitin Kuhikar)
 Executive Engineer
 MPWRD


(Sanjay Shrivastav)
 SDM
 Tehsil-T.T. Nagar


(Shitiz Sharma)
 SDM
 Tehsil-Kolar


(Akash Shrivastav)
 SDM
 Tehsil-Huzur


(Brajesh Sharma)
 Regional Officer
 MPPCB Bhopal


(Lokendra Thakkar)
 Officer Incharge
 MPSWA, EPCO


(Alok Pathak)
 DFO
 Forest Department

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 2/08/2022

कमांक / 714 / -- / 2022 / 32-3 :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच, द्वारा प्रकरण कमांक 07 / 2022 व 12 / 2022 (सुभाष सी. पाण्डेय विरुद्ध M0प्र0 शासन व अन्य) में दिनांक 15.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में भूमि का सीमांकन करने तथा अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने, तोड़ने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. कार्यपालन निदेशक- पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन।
2. कलेक्टर- जिला भोपाल।
3. क्षेत्रीय अधिकारी- भोपाल संभाग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. संयुक्त संचालक- नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल संभाग।
5. वन मण्डलाध्यक्ष- भोपाल संभाग।
6. कार्यपालन यंत्री- जल संसाधन में पदस्थ, कलियासोत, संभाग।

2/ समिति निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर आगामी कार्यवाही हेतु अनुशंसा कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी :-

- (1) कलियासोत एवं केरवा स्थित भूमि के अधिकार/आधिपत्य (खसरा खतौनी) के संबंध में।
- (2) रिजर्वायर एवं आसपास की संपूर्ण भूमि के संबंध में।
- (3) बाउण्ड्री एवं सीमांकन की वर्तमान स्थिति।
- (4) भूमि की सुरक्षा हेतु पिलर्स या फेंसिंग या अनुमति अनुसार पौधरोपण की स्थिति।
- (5) अतिक्रमण की पहचान एवं उसे हटाने के लिए की जानी वाली कार्यवाही।
- (6) पानी की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए उठाये जाने वाले कदम।
- (7) जलीय स्रोत एवं रिजर्वायर में अशोधित पानी के निस्त्राव को रोकने हेतु संबंधित संस्था द्वारा उठाये जाने वाले कदम।
- (8) ग्रीन बेल्ट एवं उसके रखरखाव की स्थिति और इसके संबंध में प्रावधान।
- (9) बाघ के भ्रमण क्षेत्र की पहचान, सीमांकन तथा उसकी सुरक्षा।
- (10) जलाशयों के आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करने वाले जानवरों से मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रशासनिक संस्था द्वारा की गयी कार्यवाही।

Supriya
(सुप्रिया पेंडकै)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग मंत्रालय

//2//

//2//

क. / 715 / - / 2022 / 32-3

भोपाल, दिनांक २ / 0४ / 2022

तिलिपि:-

रजिस्ट्रार राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल म.प्र.।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।

कलेक्टर जिला भोपाल म.प्र.।

कार्यपालन निदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एफको, भोपाल म.प्र.।

प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जल संसाधन/वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।

आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, म.प्र.।

क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

व/

Suport
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पर्यावरण विभाग मंत्रालय

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

// आदेश //


भोपाल, दिनांक 06/10/2022

क्रमांक/891/2022/32-3 :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच, द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2022 व 12/2022 (सुभाष सी. पाण्डेय विरुद्ध M0प्र0 शासन व अन्य) में दिनांक 15.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में भूमि का सीमांकन करने तथा अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने, तोड़ने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक-02.08.2022 में आशिक सशोधन करते हुए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | कलेक्टर, जिला भोपाल | - अध्यक्ष |
| 2. | सदस्य सचिव, राज्य वेटलैंड अथारिटी, भोपाल | - सदस्य एवं संयोजक |
| 3. | क्षेत्रीय अधिकारी, भोपाल संभाग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | - सदस्य |
| 4. | संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल संभाग | - सदस्य |
| 5. | वन मण्डलाधिकारी, भोपाल संभाग | - सदस्य |
| 6. | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग (कलियासोत संभाग में पदस्थ) | - सदस्य |

2/ समिति निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर आगामी कार्यवाही हेतु अनुशांसा कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी :-

- (1) कलियासोत एवं केरवा स्थित भूमि के अधिकार/आधिपत्य (खसरा खतौनी) के संबंध में।
- (2) रिजर्वायर एवं आसपास की संपूर्ण भूमि के संबंध में।
- (3) बाउण्ड्री एवं सीमांकन की वर्तमान स्थिति।
- (4) भूमि की सुरक्षा हेतु पिलर्स या फेंसिंग या अनुमति अनुसार पौधरोपण की स्थिति।
- (5) अतिक्रमण की पहचान एवं उसे हटाने के लिए की जानी वाली कार्यवाही।
- (6) पानी की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए उठाये जाने वाले कदम।
- (7) जलीय स्रोत एवं रिजर्वायर में अशोधित पानी के निस्त्राव को रोकने हेतु संबंधित संस्था द्वारा उठाये जाने वाले कदम।
- (8) ग्रीन बेल्ट एवं उसके रखरखाव की स्थिति और इसके संबंध में प्रावधान।
- (9) बाघ के भ्रमण क्षेत्र की पहचान, सीमांकन तथा उसकी सुरक्षा।
- (10) जलाशयों के आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करने वाले जानवरों से मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रशासनिक संस्था द्वारा की गयी कार्यवाही।


(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग मंत्रालय

// 2 //


पु.क. / 892 / 2022 / 32-3

भोपाल, दिनांक / 10 / 2022

प्रतिलिपि:--

1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल म.प्र.।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, वन विभाग, भोपाल म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।
5. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, म.प्र.।
6. कलेक्टर जिला भोपाल, म.प्र.।
7. सदस्य सचिव, राज्य वेटलैंड अथारिटी, पर्यावरण परिसर, भोपाल
8. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, म.प्र.।
9. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, म.प्र.।
10. वन मण्डलाधिकारी, भोपाल संभाग, भोपाल।
11. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग (कलियासोत संभाग में पदस्थ), भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग मंत्रालय

Photographs taken during the Joint committee visit of Kerwa reservoir and Kaliasot reservoir on dated 27/09/2022



Photographs taken during the joint committee meeting held on dated 27.09.2022



Joint committee inspection at periphery of Kaliasot reservoir



Joint committee inspection at 13 gate bridge Kaliasot



Joint committee inspection at the 13 gate of Kaliasot reservoir bridge



Warning and Caution sign boards installed by Forest Department in the surrounding area of the kaliasot reservoir



Warning sign board installed at Kerwa dam bridge



27.09.2022 14:08
23.16296°N 77.37095°E
Altitude: 474m
Kerwa Dam Rd Mendora, 597C+FM4, Mahua Kheda, Madhya Pradesh 462044

Joint committee inspection near water treatment plant at Kerwa Dam



Kerwa
Dam
27.09.2022 14:47
23.16685, 77.37237
Kerwa Dam, Mendora, Madhya Pradesh 462007

Joint committee inspection near guest house at Kerwa Dam



Kerwa
Dam
27.09.2022 14:00
23.16297, 77.37092
596C+U4U, Mahua Kheda, Madhya Pradesh 462042

View of water in the Kerwa reservoir from hill top during the inspection



Informatory board of e-surveillance centre along road side of Kerwa dam



Warning and Caution sign boards installed by Forest Department along the roadside of Kerwa dam




Warning and Caution sign boards installed by Forest Department along the periphery of Kerwa dam



27.09.2022 13:37
23.18526°N 77.36577°E
Altitude: 465m
59M8+X2F, Kerwa Dam Rd, Sharda Vihar, National Law Institute
University, Bhopal, Madhya Pradesh 462007

Wire fencing along the road side of kerwa Dam for restricted the movement of tigers etc.



27.09.2022 13:38
23.18526°N 77.36577°E
Altitude: 464m
59M8+X2F, Kerwa Dam Rd, Sharda Vihar, National Law Institute
University, Bhopal, Madhya Pradesh 462007

Wire fencing along the road side of kerwa Dam for restricted the movement of tigers etc



28.09.2022 13:57
23.16319°N 77.36978°E
Altitude: 469m
Kerwa Dam Rd Mendora, 5979+9RH, Mahua Kheda, Madhya
Pradesh 462044

Water intake structure on Kerwa Dam



Water sample collected from Kerwa dam near Kausalpura village



Water sample collected at the 13 gate bridge of kaliasot reservoir



Septic tank located in the Farm house/Residential dwelling unit in the catchment of Kerwa dam



Septic tank located in the house of village Kushalpura

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,
प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी.नगर, जोन-1 भोपाल,
फोन-2553096, E-mail- ewrdbpl@gmail.com

पत्र क्रमांक 3578/ NGT / तक / 2022
प्रति,

भोपाल,

दिनांक 10/10/22

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय प्रदुषण बोर्ड,
भोपाल म.प्र.।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2022 एवं 12/2022 (सुभाष सी. पाण्डेय विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) के संबंध में जानकारी देने बाबत।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रकरण में इस संभाग के अधीन कलियासोत एवं केरवां जलाशय के डूब क्षेत्र से संबंधित बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

अ- केरवां जलाशय:-

1. केरवां जलाशय का निर्माण वर्ष 1980 में हुआ था, जिसका वर्तमान में सिंचाई एवं पेयजल योजना हेतु उपयोग किया जा रहा है।
2. केरवां बांध का डूब क्षेत्र 4.82 मिलियन स्क्वायर मी. में फैला हुआ है, जिसकी पूर्ण भूमि का आधिपत्य जल संसाधन विभाग का है (नक्शा एवं भूमिस्वामियों का खसरा नं. सहित भूमि की सूची संलग्न)।
3. विभाग की भूमि की सीमाओं को दर्शाने हेतु मुनारे (खम्बे) लगाये गये थे, जो कि वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो गये हैं।
4. विभाग द्वारा बांध निर्माण के दौरान डूब क्षेत्र में फेंसिंग एवं पाईल फाउन्डेशन का प्रावधान नहीं रहता है। भविष्य में विभाग द्वारा निर्देशित किये जाने पर किया जायेगा।
5. विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर डूब क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें हटाने हेतु नोटिस दिये गये थे। वर्तमान में अत्यधिक वर्षा होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन कार्य नहीं किया जा सका है। राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन उपरांत अतिक्रमण हटाये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

ब- कलियासोत जलाशय:-

1. कलियासोत जलाशय का निर्माण वर्ष 2010 में हुआ था, जिसका वर्तमान में सिंचाई एवं पेयजल योजना हेतु उपयोग किया जा रहा है।
2. कलियासोत बांध का डूब क्षेत्र 5.295 मिलियन स्क्वायर मी. में फैला हुआ है, जिसकी पूर्ण भूमि का आधिपत्य जल संसाधन विभाग का है (नक्शा एवं भूमिस्वामियों का खसरा नं. सहित भूमि की सूची संलग्न)।
3. विभाग की भूमि की सीमाओं को दर्शाने हेतु मुनारे (खम्बे) लगाये गये थे, जो कि वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो गये हैं।
4. विभाग द्वारा बांध निर्माण के दौरान डूब क्षेत्र में फेंसिंग एवं पाईल फाउन्डेशन का प्रावधान नहीं रहता है। भविष्य में विभाग द्वारा निर्देशित किये जाने पर किया जायेगा।
5. विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर डूब क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें हटाने हेतु नोटिस दिये गये थे। वर्तमान में अत्यधिक वर्षा होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन कार्य नहीं किया जा सका है। राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन उपरांत अतिक्रमण हटाये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(निम्तिन कुहीकर)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, भोपाल

(57)

No.	Name of Tehsil	Village	Cultivator area Submergence.	Submergence.	Total Area.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Huzur	Mendora Jagir	97.75	13.69	11.44
2.	-do-	Mendore	25.01	0.97	26.98
3.	-do-	Khushalpur	170.74	97.48	268.22
4.	-do-	Mahua Khara	105.32	319.62	454.84
5.	-do-	Birkhed Jagir	55.67	4.52	60.29
6.	-do-	Bhanpur	N11	202.40	202.40
Grand Total:-			454.49	658.58	1123.17

Rajamma.15.22

ofe

Executive Engineer,
Irrigation Division, Bhopal, M. P.
Som

Statement showing land required for permanent acquisition.

Tahsil	Village	Name of Bhumiswami	Savery No.	Total area	Area Total. acquired	Remarks
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Khzur	Mendora Jagir.	Vimal Singh S/O Badripraand Maina.	20, 21/2	4.60	4.60	Khzur.3
-do-	-do-	-do-	19/1	2.20	2.20	
-do-	-do-	-do-	27 to 31, 57/31/1	3.00	3.00	
Total:-					9.60	
-do-	-do-	Khan Ajiullak Khan Karimulla Khan Rahimukka Khan S/O Amanulla Khan Shrimati Bahadur Bi W/O Amanullah Khan.	59	25.48	3.20	
-do-	-do-	-do-	60	24.92	12.00	
-do-	-do-	-do-	66/52	31.43	0.50	
Total:-					15.70	
-do-	-do-	YU Yu Lal S/O Daya Ram Ladhg.	23/2, 24/2, 25, 71/38	3.50	3.60	1 Well.
-do-	-do-	-do-	20, 21/3	0.96	0.96	1-Jamin
-do-	-do-	-do-	22/1	1.07	1.07	1. Niby.
-do-	-do-	-do-	22/2	0.13	0.13	2. Pipat.
-do-	-do-	-do-	22/2	0.20	0.20	
Total					5.96	

-do- -do-

Ruran S/O. Dayaram, Lodha.

19/2, 20, 21/4	2.61	2.61
20/21/5	1.00	1.00
22/3	0.20	0.20
42/2	2.04	1.00
45/1	4.33	4.33
43/1	5.00	5.00

1 Emli.

Total 14.14

-do- -do-

Sampat Bai W/O
Kaniram & Motiram
Jamunaprasad etc.
Loda.

27, 28, 29, 30		
31, 32, 67/31/2	3.91	3.91
19/3, 20/21/1	2.62	1.50
45/2	3.04	3.04
23/1, 24/1	2.53	2.53
42/1	2.81	2.40
34/3	3.00	0.75

Khajur 15 Emli

Khajur 4

1 Well.

Total 14.13

Cont.....2

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.	Huzur	Mendora Jagir.	Mishri Lal S/O Dayaram Lodha.	42/3	5.00	4.00	
				13/1 14/ 15/1 17/1	4.66	3.25	
				45/3	5.56	5.56	
				13/3, 15/3 16, 17/3	2.17	2.17	Well 1
				8,9/2	6.82	0.50	
				Total	-	15.48	
7.	-do-	-do-	Nawal Singh s/o Dayaram Lodha.	13/1 14,15/1 17/1 17/4	3.65	3.40	
				41/8	1.48	1.48	
				41/8	3.39	2.40	
				45/4 46/1 43/2	5.20 4.93	5.21 2.25	
				Total	-	14.74	
8.	-do-	-do-	Devchand s/o Las Singh Lodha	46/3 34/2	6.32 3.	6.82 2.00	
9.				Total.	-	97.75	
9.			Village Grand Total				
1.	-do-	Mendore	Dayaram S/O Saderam Munshi S/O Chatra Kachi.	186/1 188 191 195, 202	11.72 0.86 0.80 2.79	6.50 0.86 0.90 1.79	Well.
				198, 199, 200 201.	1.15	1.15	
				205, 206	1.99	1.99	
				Total	-	13.19	

2.	-do-	-do-	Har Lal Bhagwan s/o Rava Ram Kahhi	185/2 196,197 Kahhi.	5.38 3.14	3.00 3.14
				Total	0000	6.15
3.	-do-	-do-	Bal Kishan Tulsii s/o Dayarav Kachhi	189 193,194 203, 204	0.38 3.00 2.30	0.38 3.00 2.30
				Total	-	5.68
Village Grand Total						25.01
1.	-do-	Khushal Pura	Moti Ram s/o Jugram, Kahhi.	2/1, 5,6 8 9 18,128/18 30 31 32 33 43	0.70 1.60 0.41 0.44 6.93 0.16 0.06 0.46 0.26 0.11	0.70 1.60 0.41 0.44 6.93 0.16 0.06 0.46 0.26 0.11

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Huzur	Khushal Pura	Khuba S/O Mangal Chamar.	44	0.19	0.19	
				65,66	1.87	1.87	
				101	6.44	6.44	
				103	1.54	1.54	
				127/119	1.43	1.43	
				Total	-	11.47	
3.	-do-	-do-	Mishri Lal S/O Moti Lal Kachhi.	11	0.30	0.30	
				12	1.44	1.44	
				13	0.23	0.23	None
				14	0.75	0.75	
				15, 23	2.28	2.28	
				16	0.45	0.45	
				29	6.74	6.74	
				20	1.19	1.19	
				22, 24, 25	4.60	4.60	
				35	0.85	0.85	
				30 36	0.51	0.51	
				93	5.26	5.26	
				114	1.14	1.14	
				130/97	0.68	0.68	
				Total	-	26.42	

4.	-do-	-do-	Pana Lal S/o Bhagchand Kachhi.	38	0.66	0.66
				39	0.22	0.22
				41	0.39	0.39
				42	0.13	0.13
				45	0.60	0.60
				97	0.71	0.71
				111	4.10	2.25
				99, 131/99	5.34	5.34
				Total	-	10.90
5.	-do-	-do-	Ramapatia S/O Ganeshram Chamar	55, 87/90	3.25	3.25
				57	0.53	0.53
				90	1.20	1.20
				91	3.39	3.39
				92	1.60	1.60
				115/1/2	1.60	1.60
				94	3.43	3.43
				Total	-	15.00

Rajamma. 15.12

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	Muxur	Khushal Pura	Pyaralal Ramdayal Mevaram s/o Ashwan Kalar.	50	0.34	0.34
				51	0.13	0.13
				52	0.06	0.06
				53	1.34	1.34
				54	0.74	0.74
				55	0.31	0.31
				58	0.45	0.45
				60	2.79	2.79
				95	3.91	3.91
				83	0.61	0.61
				Total	-	11.57
7.	-do-	-do-	Seva Rama, Bhumi Fatia s/o Ganesh Chammar	78,79/2	3.00	3.00
8.	-do-	-do-	Mohad Amia Khan s/O Mohd Takikha Fathan.	63,64	1.63	1.63
				126/119	1.45	1.45
				Total	-	3.08
9.	-do-	-do-	Karimulla Kha s/o Amimulla Khan Fathan.	67,68,69	2.02	2.02
				70, 71/2		
				71/1	1.47	1.47
				Total	-	3.49

Papita 13.

10.	-do-	-do-	Chhogmal s/o Mithoo Silwat.	78,79/3/1 121	3.00 0.89	3.00 0.89
				Total.	-	3.89
11.	-do-	-do;	Bhaiya Lal S/o Parochhi Silwat.	78,79/3	4.00	4.00
12.	-do-	-do-	Ganesh s/o Haricharan Kachhi	82	3.36	3.36
13.	-do.	-do-	Jueda x W/O Basir Pathan.	115/2	42.70	14.00
14.	-do-	-do-	Amjad A li S/O Karamat Ali Pathan	116	44.98	10.00

5

Rajamma.15 .12

2	3	4	5	6	7	8.
Huzur	Khushal Pura	Dayaram/s/o Sadaram	26	2.15	2.15	
		Nubshi s/o Chatera Kachhi.	27	0.08	0.08	Well-1
			76	6.23	6.23	
			104	2.46	1.25	
			106	8.53	7.25	
			119	4.24	4.24	
			120	1.30	1.30	
			123/75	1.76	1.76	
			Total		24.26	
-do-	-do-	Ganeshram Ramkishan s/o Harikishan.	28	0.70	0.70	
			117,132/117	3.35	3.35	
			49	0.59	0.59	
			59	0.81	0.81	
			75	5.78	5.78	
			85	0.56	0.56	
			86	0.42	0.42	
			125/119	2.96	2.96	
			Totals		15.17	
			Grand Total		170.74	

Huzar	Birkhed Jagir	Harlal Khawan s/o Ravaram Kachhi.	33	2.13	2.00
			39	4.22	3.75
			40	7.99	3.75
			195/40	0.74	0.74
			Total	-	10.24

-do-	-do-	Umad s/o Sadaram Kachhi.	37	16.11.	0.20
------	------	--------------------------	----	--------	------

-do-	-do-	Gangram s/o Mandlal Khushilal s/o Baldeo Kachhi.	51	12.33	12.33.
------	------	--	----	-------	--------

-do-	-do-	Narbada Prasad s/o Bal Mukund Prem Narayan s/o Chhotram Braharam.	207/181	1.90	1.90
------	------	---	---------	------	------

-do-	-do-	Dayalal s/o Tikaram Kachhi.	187/2/1	15.00	8.00
------	------	-----------------------------	---------	-------	------

-do-	-do-	Onker s/o Shanker Kachhi.	187/2/2	15.00	9.00
------	------	---------------------------	---------	-------	------

	2	3	4	5	6	7	8
	Huzur	Birahed Jagir	Chhanu s/o Deviram Dhobi.	87/2/3	16.75	14.00	
				Grand Total.		-	55.67
1.	-do-	Mahuakhera	Ramdayal s/o Munshi Ganeshram Nathammal singh s/o Babu Lal.	1/1	30.00	23.00	
2.	-do-	-do-	Mahmood Ahmad s/o Shakur Ahmad.	1/2	30.00	0.50	
3.	-do-	-do-	Baghri allakha s/o Madomod ulla Khan.	3/2	30.00	7.00	
4.	-do-	-do-	Rukaiya Sultan s/o Zalil Ahmad.	3/3	14.18	13.00	
				19/1	14.82	15.82	
				Total	-	28.82	
5.	-do-	-do-	Manjur Hasan s/o Khurs- head Hasan Bhopal.	22/2	30.00	3.50	
6.	-do-	-do-	Munir mohad s/o Akbar Mohad Bhopal.	22/3	17.93	17.00	
7.	-do-	-do-	Smt. Zahida Bagum w/o Abdul Wazir, Bhopal.	19/2	19.21	14.00	
				20/1	10.79	8.50	
				Total	-	22.50	

S.

-do-

-do-

Ismila Ahmad s/o Mchd
Ali.

20/2

20.36

3.00

Grand Total

105.32

Cultivator Area Submergence Kerwan Dam. 454.49.

Executive Engineer,
Irrigation Division Bhopal M.P.

Signature

Rajput/12/13.

U-

Name of Tehsil.	Name of Village.	Survey No.	Total Area Govt. lands.	Area under submergence.	Remarks.
2	3	4	5	6	7
1. Huzur	Medora Jagir.	65	3.31	3.31	
2. -do-	-do-	63	3.00	3.00	
3. -do-	-do-	47	1.13	1.00	
4. -do-	-do-	18	1.14	1.14	
5. -do-	-do-	26	2.09	2.09	
6. -do-	-do-	33	0.52	0.45	
7. -do-	-do-	73/34	1.38	0.60	Dead Place
8. -do-	-do-	72/34	1.10	1.10	Khalao.
9. -do-	-do-	10	1.50	1.00	
Total			-	3.69	
-do-	Medora	187	0.39	0.20	
2. -do-	-do-	190	0.19	0.19	
3. -do-	-do-	152	0.26	0.26	
4. -do-	-do-	207	0.18	0.3	
5. -do-	-do-	214/188	0.14	0.1	
Total.			-	1.5	

1.	-do-	Birkhed Jagir	64	1.15	0.30	
2.	-do-	-do-	52	17.25	2.00	
3.	-do-	-do-	182	0.25	0.26	
4.	-do-	-do-	183	0.23	0.23	
5.	-do-	-do-	184	0.14	0.14	
6.	-do-	-do-	185	0.23	0.23	
7.	-do-	-do-9	186	1.25	1.26	ad Place,
			Total	-	4.62	
1.	झाण्डा -do-	झाण्डा	124	37.20	7.00	Forest Department
2.	-do-	-do-	128	95.15	61.00	-do-
3.	-do-	-do-	130	9.80	3.00	
4.	-do-	-do-	132	78.71	31.00	
5.	-do-	-do-	133	119.20	79.00	
6.	-do-	-do-	135	54.00	20.00	
7.	-do-	-do-	146	1.07	0.35	
	-do-	-do-	147	34.07	18.00	
	-do-	-do-	131	1.85	1.35	
	-do-	-do-	129	0.78	0.20	-Do- All do-
			Total	-	202.40	

Contd.....8

1.	2	3	4	5	6	7
1.	Huzur	Mahua Khara.	4	2.07	2.07	
2.	-do-	-do-	5	2.41	2.41	
3.	-do-	-do-	6.	0.99	0.99	
4.	-do-	-do-	7	0.89	0.89	
5.	-do-	-do-	8	2.05	2.05	
6.	-do-	-do-	9	10.97	10.97	
7.	-do-	-do-	10.	0.69	0.69	
8.	-do-	-do-	11.	41.45	41.45	
9.	-do-	-do-	12	43.02	43.02	
10.	-do-	-do-	13	50.68	50.68	
11	-do-	-do-	14	37.50	37.50	
12	-do-	-do-	15	68.35	20.00 25.00	
13	-do-	-do-	16	49.68	22.00	
14	-do-	-do-	17	58.20	58.20	
15	-do-	-do-	18	3.34	3.34	
16	-do-	-do-	26 26	0.56	0.56	
17	-do-	-do-	27 27	18.60	18.60	
18	-do-	-do-	28	8.60	8.60	
19	-do-	-do-	29	7.50	7.50	
20	-do-	-do-				

	-do-	Khusalpora			
1.	-do-	-do-	1	0.15	0.15
2.	-do-	-do-	2/2	0.05	0.05
3.	-do-	-do-	3/3	0.10	0.10
4.	-do-	-do-	5	0.10	0.10
5.	-do-	-do-	4	0.14	0.14
6.	-do-	-do-	7	0.07	0.07
7.	-do-	-do-	10	0.06	0.06
8	-do-	-do-	17	0.21	0.21
9	-do-	-do-	21	0.26	0.26
10	-do-	-do-	34	0.32	0.32
11	-do-	-do-	37	0.12	0.12
12	-do-	-do-	40	0.10	0.10
13.	-do-	-do-	47	0.34	0.34
14.	-do-	-do-	61	0.21	0.21
15	-do-	-do-	72	0.66	0.66
16	-do-	-do-	73	0.19	0.19
17	-do-	-do-	78, 79/1	37.79	37.79
18	-do-	-do-	77	1.45	1.45
19	-do-	-do-	80	0.36	0.36
20.	-do-	-do-	81	1.39	1.39
21.	-do-	-do-	83	0.23	0.23
22.	-do-	-do-	89	0.30	0.30

1	2	3	4	5	6	7
23.	Huzur	Khusalpura	96	0.19		0.19
24	-do-	-do-	98	0.51		0.51
25	-do-	-do-	100	0.44		0.44
26.	-do-	-do-	102	0.40		0.40
27	-do-	-do-	105	0.23		0.23
28	-do-	-do-	108	0.24		0.24
29	-do-	-do-	113	0.25		0.15
30.	-do-	-do-	122	0.52		0.52
31	-do-	-do-	123/1	15.00		15.00
32	-do-	-do-	123/2	15.00		15.00
33	-do-	-do-	123/3	12.90		12.90
34	-do-	-do-	124	0.96		0.96
35	-do-	-do-	84	0.25		0.25 Dead place
36	-do-	-do-	74	3.15		3.15 -do-
37	-do-	-do-	62	0.12		0.12 Holy place
38	-do-	-do-	48	0.11		0.11 Population Area
39	-do-	-do-	46	0.68		0.68 -do-
40	-do-	-do-	29	1.53		1.53 -do-

Grand Total Government Area submergence Karwan Dam. 468-68

Executive Engineer,
Irrigation Division Bhopal M.P.

de

Sonela

Rajput/12/73.

Submergence	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

आदेश

क्रमांक 9/राजत्व/94:- ग्राम चंदपुर एवं दामकेटा स्थित
कृमशः 87.79 एकर एवं 142.41 एकर, कुल 230.20 एकर भूमि तिपाई
विभाग द्वारा अर्जित की गई है। उक्त भूमि के भू अर्जन प्रकरण क्रमांक
3/अ-82/90-91 में पारित अर्वाइड ब्लेक्टर, मोपाल द्वारा पुष्टि के लिये
प्रस्तुत किया गया है।

LNO -- भू अर्जन अधिकारी द्वारा पारित एवं ब्लेक्टर मोपाल द्वारा अनुमोदित
अर्वाइड राशि रु 2,34,12,835=00 ₹ दो करोड़ चौतीस लाख, चारह हजार
अठि सौ पचास रुपये का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है।
कि जो भूमि नगर भूमि सीमा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावित
होना पार्य जाता है, ऐसी भूमि के प्रकरण में नगर भूमि सीमा अधिनियम के
प्रावधानों के तहत मुजाबजा देय होगा, भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के
तहत नहीं।

प्रश्नाधीन प्रकरण में भूमि का अग्रिम अधिपत्य प्राप्त किया गया है।
अतः हेतु मूलकों को अग्रिम भुगतान भी किया गया है। अतः भू अर्जन अधिपति
की धारा- 34 के अन्तर्गत अधिपत्य प्राप्त करने की तिथि से भुगतान होने
तक अवशेष राशि पर 9% वार्षिक दर से ब्याज भी देय होगा।

[Signature]
कमिश्नर

मोपाल तम्भाग, मोपाल

पृष्ठ 2 राजत्व/94

मोपाल दिनांक

प्रतिलिपि:

1. ब्लेक्टर, मोपाल को सूचनाय प्रेषित।
2. भू अर्जन अधिकारी, मोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[Handwritten notes]

[Signature]
कमिश्नर

मोपाल तम्भाग, मोपाल

(113) न्यायपालिका अख्तियारको निर्देशकारी विभागको कार्यालय

पोषाधिक निर्देशकारी : श्री जी. डी. शर्मा
उप निर्देशक एवं अख्तियार
निर्देशकारी कार्यालय

निर्दिष्ट अख्तियार प्रमाण सं. : 3/182/90-91

कार्यालय सत्री
कलिमानाथ शर्मा तम्बाग --- अख्तियार
कार्यालय

विरुद्ध

1. श्री शैल कुशरफ पुत्र श्री शैल पुन्य --- अख्तियार
नि. पीरगैर कार्यालय व अन्त 22 तमी
कसकमाण ग्राम दामबेडा वीरग
वह. हुमर

2. रजिमावानी पुत्री ककुल शर्मा ---
नि. कार्यालय व अन्त 5 तमी
कसकमाण ग्राम चण्डगपुरा वह. हुमर

एवम्

(अख्तियार द्वारा 11 अख्तियार निर्देशनम् 1894
तं शैल कुशरफ अख्तियारम् 1984)

पारित एवं उद्घोषित दिनांक 8-7-93

आयुक्त महोदय द्वारा अख्तियारित दिनांक 6-6-94

कार्यालय सत्री, कलिमानाथ शर्मा
तम्बाग कार्यालय के अख्तियार पत्र सं. 128/क.ए.क./180/
द्वारा दिनांक 10-1-90 द्वारा एक कार्यालय के ग्राम
दामबेडा वीरग व चण्डगपुरा वहील (हुमर) श्री
65-297 है. व 44-828 है. निजी अर्थ के अख्तियार की
अन्तर्भूतता विषय में अख्तियारित की गई
लिखा कि एक अर्थ अख्तियार पर निर्देशक के
द्वारा जारी की गई।

2. प्रस्ताव में कर्जित भूमि की स्थिति में राजस्व विरीयक एवं पटवली पर कर्जित के कराई गई। राजस्व विरीयक ने विरीयक कर दिनांक 7-12-90 को प्रतीक प्रस्तुत किया कि कर्जनाधीन भूमि में कोई धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, ब्रह्मलाल, गरपट की भूमि नहीं आ रही है। कर्जनाधीन भूमि पर दिनांक 10-11-90 के आदेश की सूची कलक से लेना की जाकर शामिल की गई।

3. प्रकरण में कर्जनाधीन भूमि का कराई शीघ्र जारी किया जाना था। उक्त आदेश में कोषाल से काश कोषाल से कर्जनाधीन भूमि के दिनांक 17/11/90 के तहत कर्जनाधीन भूमि के प्रमाण की अनुमति से विवेक विना जमा। कायुक्त कोषाल से काश के मुद्दा नं. 183/राजस्व/प्रका. 3/91 दिनांक 5-1-91 द्वारा यह निर्देश दिए जाते थे कि अपने प्रस्तावित भूमि का कर्जनाधीन विवेक विना जमा करने में ही लिया जा रहा है। उक्त प्रकरण में कर्जनाधीन भूमि के प्रमाण की अनुमति प्रदान करने का कोई निर्देश नहीं है। प्रमाण में लागू प्रक्रिया के कर्जनाधीन भूमि के कराई की कार्यवाही भी जमा।

4. कायुक्त महोदय से उक्त निर्देश प्राप्त होने पर प्रकरण में यह कर्जनाधीन भूमि के दिनांक 4/11/90 के तहत कर्जनाधीन भूमि नं. 3/A82/90 दिनांक 2-2-91 को जारी की गई जिला प्रशासन ग. 10/90 राजस्व कोष - 1 में प्र. नं. 381 पर दिनांक 2-2-91 को उक्त तहत ल. वि. वि. वि. वि.

(11) 3-
 पत्र जल नगर में दिनांक 9-2-91 को जल
 दैनिक कार्या में दिनांक 9-2-91 को जल /
 अधिसूचना के सार तंत्रों का प्रकाशन अधिसूचना
 नं. 25-2-91 को ~~अधिसूचना~~ विहित
 शासकीय कार्यालय जिले में सम्बन्धित पुलिस थाना
 तहसील व कलेक्टर तथा ग्राम के तालुकदार
 स्थल पर कराया गया।

इसके इत प्रमाण में अनुमति महीना
 दाता अधिसूचना अधिसूचना के प्रयोग की
 अनुमति प्रदान की गई थी कालः
 अधिसूचना अधिसूचना की धारा 5(ए) में
 तहसील लकी अधिसूचनाओं को प्रदान कर
 जाती किन्तु आकर अधिसूचना अधिसूचना की
 गई / आर अधिसूचनाओं के कलाप तहसील
 प्रदान कर लगी तहसील अधिसूचना में तहसील किन्तु
 गई किन्तु अधिसूचना अधिसूचना को प्रदान कर
 किन्तु लकी प्रदान था उनके लिए तहसील
 प्रदान में जादिए प्रदान जाती की गई किन्तु
 प्रकाशन नगर नगर तहसील प्रदान में दिनांक
 25-12-91 तथा गई अधिसूचना में दिनांक 26-12-91 को
 प्रदान / प्रकाशन जादिए प्रदान के उपरान्त की
 अनुमति प्रदान के कारण उनके अधिसूचना एक
 पक्षीय कार्यालय की गई / ग्राम अधिसूचना अधिसूचना
 के अधिसूचनाओं की अधिसूचना के अधिसूचना अधिसूचना
 अधिसूचना के अधिसूचना अधिसूचना कर कराया कि
 अधिसूचनाओं की अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना की
 अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना
 अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना

की कमीत 1000 रुपा की कोवेरा प्रत्युत सिद्ध
 गाना कि प्रमाण में काइल लार्ड किन जाइ। अति
 राइल प्रु निर्माण लार्ड की कोवेरा कोवेरा
 प्रत्युत किन गाना कि इकी शक्ति में है किना
 की अती शक्ति का कावेरा लार्ड की कोवेरा
 उन्हे कावेरा प्रमाण पत्र की है उन्हे है किन
 0-95 तक शक्ति ही ली जा रही है अतः शक्ति का
 कमी में ल लिना गाना। कावेरा लार्ड की कमीत
 लार्ड की इत लार्ड की जाइगी थी गई लार्ड
 लार्ड लार्ड निर्माण प्रु कराया गाना किने
 अत्युत किना रा। अतः प्रु निर्माण शक्ति
 लार्ड पर गाना काइल की 36-141 है। तथा
 कावेरा की 57-656 है। शक्ति का अत्युत किना
 जाइ संशोधित प्रु की है लार्ड प्रु।

५. अतः शासन के आदेश की पूर्णता के लिये
 अत्युत किना निर्माण की जाइ 6 की पूर्णता
 सं. 3/482/90-91 दिनांक 10-7-92 को जारी की गई
 जिला प्रकाशन मं. प्रु शासन कावेरा-1 में प्रु सं.
 2364-65 पर दिनांक 7-8-92 की प्रु। अतः
 प्रु लार्ड लार्ड पत्र साधक प्रकाश में
 दिनांक 22-7-92 लार्ड दिनांक जाइरा में दिनांक
 25-7-92 की प्रु/कावेरा के अतः लार्ड का
 प्रकाशन विहित शासकीय कावेरा जिला कावेरा,
 लार्ड, कावेरा के अत्युत पत्र लार्ड गाना
 के लार्ड लार्ड पर 25-7-92 की अतः
 लार्ड लार्ड कावेरा प्रु निर्माण कावेरा
 गाना।

६. अ. प्रु शासन कावेरा लार्ड की
 कावेरा सं. 1/107/सा-का-200/83 दिनांक

25-3-85 जिलाका प्रकाशन के प्र-राजपथ 921
 में 2 अ. 1964 पर दिनांक 13-12-85 को हुका के
 द्वारा कलेक्टर की कोषांकित किया गया कि
 वे कोषांकित की खाता के लक्ष्य जमीन का
 कोषांकित प्राप्त करने की कार्यवाही करें तथा
 9(3) की सूचना प्रकाशन के 15 दिन पश्चात्
 जमीन का कोषांकित प्राप्त करें। इस प्रकरण में
 हुका का कोषांकित पूर्व में किया गया किन्तु
 जिलाधिकारी को 8-9-92 की पुनः कोदेश प्राप्त
 किसे जाकर खाता 9(1) व 9(3) के अनुसार
 पत्र दिनांक 24-9-92 को जारी किसे जाकर
 लकी जमीनलामीनों से उनकी जमीन के पुनःकोषांकित
 सम्बन्धी दाये फांमंत्रित किसे जाये।

ग्राम दामबेड़ा के लक्ष्य क्षेत्रीय जमीनलामीनों
 खीरती दामबेड़ा निगरी, हरबिन्दर सिंह, व गंगागाराण
 के सूचना पत्र लामीन लगी हुए कला जारी
 सूचना जारी की गई जिलाका प्रकाशन कलेक्टर
 लामानार पत्र में दिनांक 2-11-92 को प्रकाश
 गया किन्तु कलेक्टर को इस उपलक्षित नहीं
 हुका कला उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
 की गई। ग्राम दामबेड़ा के लक्ष्य क्षेत्रीय जमीनलामीनी व
 दामबेड़ा के लक्ष्य जमीनलामीनी की कोषांकित
 की हाथानी कोषांकित के कलेक्टर प्रस्तुत किया
 को हुका कला साथ पाठ लात रूपसे प्रति एक
 दिने जारी की मांग की है। इसके साथ ही हुका
 की हुका कला साथ तथा शता 23 के लक्ष्य लामीन
 साथ दिने जारी की मांग की है। की हाथानी
 द्वारा लक्ष्य की मांग मद्रास, कलेक्टर को जारी

पञ्जालपुर रा. गा. व. ललीग लक्ष्मण, श्री ली रजिनाबाई
 बसूलाल, परमोबाई, राजीबाई, विष्णु प्रसाद, शीख
 पुराण, मो. कामुब, राजबाबू, बंटीलाल, राधेनिश
 बदनलाल, मेवाबाई, मानकिंद, रामेश, कुमर,
 लाललाल, श्री ली कानि गैक, कबनील कुमर,
 स्व. मदनलाल व उत्तरादिमारी, काशीराम, व
 स्व. प्यारेलाल के उत्तरादिमारी की ओर है
 बल्लभ प्रस्तुत किया गया। श्री कनील लक्ष्मण
 द्वारा श्री पांच लाख रुपये प्रति एकड़ मुकाबला
 शर्तों पर जमीन की मांग की है/इसके साथ
 ही लक्ष्मण की मुकाबला शर्तों तथा व्याज शर्तों
 धारा 23(2) के तहत एवं सोलेशिमम शर्तों पर
 जमीन की मांग की है/इसके अलावा धारा 23(2)
 की अधिनियम विधि के अन्तर्गत जमीन की मांग
 मांग की है।

मुकाबला शर्तों पांच लाख प्रति एकड़ की
 लक्ष्मण में अनाबेदों द्वारा कोई गलतियाँ या
 कानूनविरुद्ध शर्तें प्रस्तुत नहीं की हैं केवल
 ग्राम की परत की अन्तर्गत मांग एवं पुरा शर्तों
 तहत माहफुज एवं का कथन कराया गया है
 जिले में उम्मीदें ग्राम चण्डपुरा व रामनेडांभीर
 उनके अन्तर्गत की जमीन की कीमत लगभग
 पांच लाख रुपये प्रति एकड़ होना तथा अन्तर्गत
 की जमीन की कीमत इसके अधिका होना बताया
 है। इस प्रकार में जो जमीन अधिनियम की शर्तों
 उनके श्री अन्तर्गत मांग एवं की जमीन की शर्तों
 के अन्तर्गत उनके द्वारा दी गई शर्तें मुकाबला
 निवारण हेतु निष्काश नहीं होने से मांग नहीं
 की जा सकती है।

6. इतल मुकामवा नी दर निदर्शन के उद्देश्य
 से उप पंजीयक मुकामलय कोषाल से ग्राम
 बरगपुरा व रामबेड़ा व उलने लक्ष्मीबली ग्रामों
 में सम्पन्न मिती जमीनी तहसील तबेकीनी
 पंजीयक बिलौने पर कायदिल देरें प्राण त्रीगरी

शु कर्जल कीर्तियोग 1894 तं शोधिल कीर्त
 नियम 1884 की धारा 23 (1) के अंग पौरा के
 अनुसार मुकामवा उस दर से लग किमा जातल,
 जो धारा 4 (1) की कीर्तियोगा प्रकाशन लिखि
 पर प्रचलित हो। इत प्रकरण में धारा 4 (1) की
 कीर्तियोगा मः प्र० काग-1 में दिनांक 29-3-91
 की प्रकाशित हुई जिले अनुसार ग्राम बरगपुरा
 व रामबेड़ा तथा लक्ष्मीबली ग्रामों में प्रचलित
 व्याजार दर कीर्तियोगा प्रकाशन लिखि- से एक
 वर्ष पूर्व कीर्तियोगा 30-3-90 से 29-3-91 जिले में
 प्रकाशन लिखि की शामिल है, में हुई जामे की-
 तहसील लिखिओं की व्याजार दर का कायदिल
 जाना जाना उपयुक्त होगा।

मं० प्र० शु कर्जल निमामबली काग-2 के
 परिपत्र 42 में व्याजार दर की याख्या यह है
 कि "व्याजार दर मिती की इलाके नी जमीन
 की वह कीमत है जो जमीन की सबबियों को
 रतानियों के धमाल में शक्कर एक रजामण्डिया
 व अररत मण्ड केला लग करे।"

उपरोक्त कायदिल में उप पंजीयक
 मुकामलय कोषाल के यहां कायदिल कालिय
 में ग्राम बरगपुरा व रामबेड़ा के पंजीयक

8
 विलीन प्राय ली (दुप कल) लगीपुष्प आ
 बंजारी के सम्पत्त दुए पंजीयन विलीन प्राय
 सिधे जके जिल्ला निबरण जिम्क उबार है:-

क्रमा क्रिया निरूप रकबा	दलालेज की किरा या प्रतिफल लेनामा मूल	गाम केला उलेके पिता/ पति का नाम व जिल्ला हकाल	गाह पिउला उलेके पिता/ पति का नाम व जिल्ला हकाल	पंजीयन का दिनांक
3	4	5	6	7 8 9
17-00 6-18 <u>23-18</u> ✓	11,37,350=00	श्री निरामलाल उग्र शुक्ला नि. कमबरपुर कु. काम कुशलमणी कोसल	दामिनी गृहनिर्मा लक्ष्मि देवा अम्बरु श्री दामिनी देवी कोसल	4315 $\frac{30-1}{213}$ 28/12-90
8-65 5-40 ✓	4,32,000=00	—	—	4396 $\frac{30-1}{213}$ 28-12-90
12-15 4-42 0-74 <u>17-31</u> ✓	16,27,800=00	श्री हरिहराण्ड शुक्ला नि. अम्बरु देवा कु. काम देवा अम्बरु नि. कोसल	—	4399 $\frac{30-1}{213}$ 28-12-90
16-9) 8-68 <u>25-65</u> ✓	13,72,000=00	—	—	4400 $\frac{30-1}{213}$ 28-12-90
15 4-68 ✓	4,33,000=00	श्री मोहनदास दास शुक्ला नि. अम्बरु देवा कु. काम दास देवा नि. कोसल	—	3590 $\frac{30-1}{2053}$ 15-11-90
11-69 6-18 0-81 <u>18-68</u> ✓	11,81,900=00	श्री मोहनदास कुं शुक्ला नि. अम्बरु देवा कु. काम कुशलमणी देवी नि. अम्बरु देवा कोसल	—	3609 $\frac{30-1}{2053}$ 19-11-90

(90)
 इस लक्ष्मी पंजीमन बिलेव ५००० ५०
 की अधिपुत्रण कब्रि में लम्पन ५०० ५०
 इन पंजीमन बिलेवों के आधार पर ग्रामबंगली
 की शक्ति का औतल मूल्य रु ७१५७५-६५ अर्थात्
 रु. ७१५७५०० प्रति एकड़ का है। अतः ग्राम (साले)
 पणनपुरा की अर्जाधीन शक्ति की दर प्रति एकड़
 रु. ७१,५७५०० निर्धारित की जाती है। य. उ. शासन
 राजस्व विभाग के आदेशसंख्या: एम-१२-४३/तार/१/
 १० दिनांक १-११-१० में दिए निर्देशानुसार कार
 शक्ति सीमा अधिनियम के अन्तर्गत चल रहे
 चलने वाले प्रकरणों में धारक को स्थिति कार
 शक्ति सीमा अधिनियम के अन्तर्गत धारक
 प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर रुपये ०-३० प्रति एकड़
 वर्गमीटर स्वीकृत की जाती है।

९. अर्जाधीन शक्ति पर गिरफ्तार फल, फूलदार
 व इमारती लकड़ी के काट पेड़ों का मूल्यमंकन
 वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल कोषाल
 तथा तहसिल तंचालक उद्यानिकी कोषाल
 से कराया गया।

वन मंडलाधिकारी कोषाल वन मंडल के
 पत्र सं. ४५४ दिनांक १९-५-१३ से मूल्यमंकन कर
 अधिवेशन केला है जो सम्भव स्वीकृत कर
 प्रकल्प में शामिल किया गया।

तहसिल तंचालक उद्यान विभाग के पत्र
 सं. उद्यान/१३-१५/१० दिनांक २२-५-१३ द्वारा फल पेड़ों
 का मूल्यमंकन कर अधिवेशन केला है उनमें
 में शामिल किया गया।

वन मंडलाधिकारी कोषाल व तहसिल
 तंचालक उद्यानिकी कोषाल सम्बन्धित विभागों

द्वारा 34 के अन्तर्गत अधिपत दिनांक से एकादश दिनांक तक एक वर्ष के लिए 9% ब्याजदर से जमीन की कुम्हारा राशि पर व्याज राशि की गई है। यह व्याज राशि जमिंदारों द्वारा अग्रिम ब्याज संपन्न से जमीन से फल प्राप्त न करने से हुई अतिरिक्त राशि के रूप में उदात्त की गई है। इसी प्रकार 15% व्याजराशि अधिपत के लिए उदात्त की गई है।

92. ज्ञात है कि अजिनादीन जमीन नगरशुद्धि लीन अधिनियम क्षेत्र के अन्तर्गत आती है अतः कुम्हारा राशि का निर्धारण अजिनादीन अधिनियम व नगर जमीन लीन अधिनियम दोनों के तहत किया गया है। वर्तमान में कुम्हारा राशि का उदात्त नगर शुद्धि लीन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर में किया जाता है। यदि जमीन लक्ष्मण प्राविण्डी नगर जमीन लीन अधिनियम द्वारा लीविंग से उदात्त की जाती है तो म. प्र. शासन राज्यत्व विभाग के रूप में एफ-1-26/काल-9/90 दिनांक 5-7-91 की तारीख 5 में दिने निर्देशांक नगर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कुम्हारा देना होगा।

93. प्रकरण में ग्राम चण्डनपुरा की 87-79 एकादश तथा दामलेडा 142-61 एकादश 355373-92 की निजी जमीन की कुल एकादश राशि क्रमशः रु. 1,22,26,556 = 49 पै. 40 आं. है जिसमें उदात्त राशि रु. 1,14,66,128 = 46 पै. 40 आं. है तथा ग्राम दामलेडा की एकादश कुम्हारा राशि रु. 1,98,10,732 = 17 पै. 10 आं. है उदात्त राशि

शेष रु. 1,84,41,221=00 होली है। जंगल जमीन लीजा

अधिनिधम के लक्ष्य ग्राम चण्डपुरा की कुम्हार
राशि रु. 1,49,660=00 तथा दामबेड़ा की रु. 1,24,443=00
होली है।

इस प्रकार दोनो ग्रामों की कुल एवाड
कुम्हार राशि रु. 3,20,37,288=66 पैसे घोषित की
गई है। इसमें से अग्रिम अधिनिधम के लक्ष्य
कुम्हार की गई राशि कम करने के पश्चात् शेष
कुम्हार राशि रु. 2,99,07,349=00 है एवं जंगल
जमीन लीजा अधिनिधम के लक्ष्य कुल वर्तमान में
देय राशि रु. 3,22,603=00 होली है।

मं.पु. शासन राजस्व विभाग की

अधिसूचना सं. 896/कत/न-2वी/85 दिनांक 25-6-85
के अनुसरण में एवाड राशि दत्त लाव से अधिम
होने के कारण एवाड अनुमोदन हेतु आमुक्त
मध्यम कोषाल की ओर भेजा जाय।

इसके एवाड जमीनधारकों की अनुपालना
में धारा 12(1) के लक्ष्य पारित किया जाय है
अतः एवाड अनुमोदन उपरान्त जमीनधारकों को
धारा 12(2) के लक्ष्य प्रथम से सूचना दी
जाय।

जिला मंत्री
आमुक्त मंत्री

(जी.डी. शर्मा)
जुनियर अधि. मंत्री
उप जिला, राज. कोषाल
Bond Acquisition Officer
Dist. Board, P.S.

दिनांक 31/12/93
 31/12/93
 31/12/93

क्र.सं.	विवरण	31/12/93	31/12/93	31/12/93	31/12/93	31/12/93	31/12/93	31/12/93	31/12/93	31/12/93	31/12/93	31/12/93	31/12/93	31/12/93
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

			2575-00	1,02,362-00	1,02,362-00	1,02,362-00	31,183-00	31,183-00	27,101-00	1,02,362-00	1,02,362-00	1,02,362-00
			1-50	6072-00								
			1-71	2,528-00	2,528-00	2,528-00	5,118-00	5,118-00	18,331-00	18,331-00	18,331-00	18,331-00
			1-50	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00	11,701-00	11,701-00	20,183-00	20,183-00	20,183-00	20,183-00
			3-00	2,14,725-00	2,14,725-00	2,14,725-00	5,230-00	5,230-00	60,386-00	60,386-00	60,386-00	60,386-00
			3-00	2,14,725-00	2,14,725-00	2,14,725-00	5,230-00	5,230-00	60,386-00	60,386-00	60,386-00	60,386-00
			3-00	2,14,725-00	2,14,725-00	2,14,725-00	5,230-00	5,230-00	60,386-00	60,386-00	60,386-00	60,386-00
			5-00	5,57,875-00	5,57,875-00	5,57,875-00	13,781-00	13,781-00	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00
			5-00	3,57,875-00	3,57,875-00	3,57,875-00	3,578-00	3,578-00	31,645-00	31,645-00	31,645-00	31,645-00
			8-00	5,57,875-00	5,57,875-00	5,57,875-00	13,781-00	13,781-00	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00
			3-00	2,14,725-00	2,14,725-00	2,14,725-00	5,230-00	5,230-00	60,386-00	60,386-00	60,386-00	60,386-00
			5-00	67,956-00	67,956-00	67,956-00	1,718-00	1,718-00	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00
			2-50	5,36,812-00	5,36,812-00	5,36,812-00	13,418-00	13,418-00	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00
			4-00	2,14,725-00	2,14,725-00	2,14,725-00	5,230-00	5,230-00	60,386-00	60,386-00	60,386-00	60,386-00
			5-00	4,23,450-00	4,23,450-00	4,23,450-00	10,460-00	10,460-00	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00
			1-73	2,48,011-00	2,48,011-00	2,48,011-00	6,215-00	6,215-00	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00	1,07,362-00
				1,01,32,995-00	1,01,32,995-00	1,01,32,995-00	2,706,673-00	2,706,673-00	2,48,011-00	2,48,011-00	2,48,011-00	2,48,011-00

79-15

पीठाधीन अधिकारी:- श्री डी.के.बाजरेयी,
उपविजातीयता फर्क
विजातीयता अधिकारी,
भीवाल ।

विजातीयता हर्षण प्रकरण क्रमांक 24/ए-32/87-88.

कार्यवाहन यंत्रणा,
कलियुक्तसोत शीवे कार्य क्षेत्रात,
70, महाशय्या प्रताप भवन, भीवाल ।..... कार्यालय

पिळ

- 11] श्री सुरजशंकर, फुलगाव, भीवालशिर..... वनादेवनाथ
पुणवत ७७मीसाल विसता 1/2,
मायाराम पुत्र मलत 1801/2
जाति योना, विजातीय-भरगोडीकरा व
अन्य प्रकारतकार करगोडीकरा
- 12] श्री सुतर्पद वारकर कन्हेयासाल,
हामगोवाज जा० गिरजाप्रताप शीरसिया,
शिरता वरावर, विजातीय भीवाल व अन्य-यो
कारतकार ग्राम भरगोडीकरा...
- 13] सु.गोटाकाई परनी भवानी प्रताप,
विजातीय भावनी कारतकार ग्राम भेजेरी...
- 14] मलीमायाजी पुत्री मोहम्मद हारम,
विजातीय कारतकार धन्यनगुरा,
सधनील कुतर, भीवाल.

"घाई"

विजातीयता आरा 11, विजातीयता-हर्षण 1894 विजातीयता अधिकारी 1894

दिनांक-4-1992

विजातीयता कार्य विजातीयता दिनांक-7.11.1992

कार्यपालन यंत्री, कमियातीत शीर्ष कार्य विभाग, भीषान में
 वर्ष 1980/80, दिनांक 16.6.89 द्वारा इन कार्यालय की प्रां
 गवा गरी, भोजरा, सरगौड़ीकला, चम्पनपुरा, तहसील हुन्नर, भीषान की 11.9
 कर्क निचरी भूमि की वास्तविकता कमियातीत पर्यव मार्ग हेतु प्रतिपादित
 और निजा, कि उक्त भूमि अर्जित कर कमियातीत शीर्ष कार्य विभाग को
 हस्तांतरित की जाय ।

2. प्रस्ताव में अर्जित भूमि की स्थल जांच कार्यालयीन राजस्व-
 निरीक्षण एवं वटवारी से करवाई गई । राजस्व निरीक्षण में अर्जित स्थल
 निरीक्षण दिनांक 10.1.87 को कर दिनांक 10.1.87 को प्रतिवेदन प्रस्तु
 किया, कि अर्जित भूमि में कोई भी आर्म्बिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,
 कब्रस्तान आदि नहीं जा रहे हैं और न ही जाहूँ, देह, कुँप, मकान आदि न
 जा रहे हैं ।

3. कार्यपालन यंत्री, द्वारा भूमि का आधिपत्य स्थिर पाटा गया
 था । अतः आयुक्त, भीषान विभाग, भीषान से भूमि का आधिपत्य प्रमाण क
 के लिए अधिपत्य की धारा 17(1) के वापतकालिक प्रावधानों के प्रयोग
 की अनुमति प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया । आयुक्त, भीषान विभाग
 पत्र क्रमांक 13567/आजा-4/88, दिनांक 20.5.88 द्वारा धारा 17(1)
 के अधिकारों के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई ।

4. इसके उपरान्त प्रकरण में धारा 4(1) सवपठित धारा 17(1)
 की अधिपत्यनाशक 24/ए-82/87-88, दिनांक 24.11.88 को जारी की
 गई, जिसका प्रकाशन न.प्र.राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ क्रमांक 2918 पर दिनांक
 23.12.88 को हुआ तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में
 दिनांक 10.12.88 को तथा नव भारत में दिनांक 9-12-88 को हुआ ।
 अधिपत्यनाशक के सार्वजनिक प्रकाशन विहित शासकीय कार्यालय, सम्बन्धी
 पुलिस थाना, तहसील व कोर्ट के नोटिसबोर्ड तथा ग्राम सार्वजनिक स्थल
 दिनांक 7.12.88 को कराया गया । इति वक्त प्रकरण आयुक्त, भीषान में
 से अर्जित अधिकारों के प्रयोग की अनुमति प्राप्त की गई थी ।

अतः धारा 17(4) के प्रावधानों के प्रभाव में धारा 5(ब) के अन्तर्गत कार्यवाही वागीश्वर को जमा निराकरण करवा जायजत नहीं रखा ।

5. प्रकरण में शासन के ह्रासों की शीका के लिए अधीनस्थ की धारा 6 की शीका क्रमांक 24/ए-82/87-88 दिनांक 26.9.90 को जारी की गई, जिसका प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 2713 पर दिनांक 9.11.90 को हुआ । इस शीका का प्रकाशन स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक सागर के दिनांक 11.10.90 व दैनिक जागरण के दिनांक 16.10.90 के अंक में हुआ । शीका का प्रकाशन विहित सांख्यिक कार्यो अधिनियम के तर्जिमा धाने, तहसील व जिला मुख्यालय के हुनावरतन व ग्राम के सांख्यिक रजिस्टर पर दिनांक 24.10.90 को किया गया ।

6. म.प्र शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 1-107/सा-सा-2बी/83 दिनांक 23.3.85, जो म.प्र.राजपत्र भाग-1 में दिनांक 13.12.89 को पृष्ठ क्रमांक 1964 पर प्रकाशित हुई है, के धारा क्लेक्टर को अधिसूचित किया गया, कि वे अधीनस्थ की धारा 7 के तहत छूम का अधिसूचना प्राप्त करने की कार्यवाही करें तथा धारा 9(5) के अन्तर्गत प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर छूम का अधिसूचना प्रकाश करें । इस आदेश के परिणाम के अनुसार जिलाध्यक्ष से छूम का अधिसूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 9.9.91 को आदेश प्राप्त किये गये । इस आदेश के तालन में दिनांक 13.9.91 को धारा 9(1) व (5) की अन्तर्गत जारी किये सभी छूम-आदेशों से उनकी छूम के मुख्यालय सम्बन्धी आदेश अधिसूचित किये गये । सभी अधिसूचनाओं को विधिक नोटिस तामील कराये गये । ग्राम पंचायतपुरा की महासभाओं द्वारा मेन्जरी की मु.जोदावादी, बरौड़ीकाना की बीगती-कमरवाहा, बरौलीकाना तथा ग्राम अत्याय के मुख्यालय एवं निर्माण संस्था, मो.जातिर किया मु.जातिर के नाम औरत को नोटिस तामील करने के अन्तर्गत में नहीं हुए । अतः उनके विषय में अधिसूचना जारी की गई, जिसका प्रकाशन के भारत समाचार के पृष्ठ में दिनांक 23.10.91 को कराया गया उनकी ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं किया गया । अतः यह कार्य

कार्यवाही की जाती है। ग्राम धरगोड़ी तथा के भी जगदीश प्रसाद ने सा-
 सागत रुपये मुवायजा देने की मांग की है। ग्राम लुदागंज के भी किसान, लुना
 राम, दयाराम ने फौज प्रस्तुत कर एक सागत प्रति एकड़ मुवायजा राशि दिये-
 जाने की मांग की है। बांधवों द्वारा अपने दाये के समर्पण में कोई लिखित
 साबित्तिकीय साग प्रस्तुत नहीं की, जिससे उनके द्वारा मांगी गई मुवायजा-
 राशि को अधिक माना जा सके।

7. मुवायजे की दर निर्धारण के उद्देश्य से उपर्युक्त मुख्यालय,
 भोपाल से ग्राम लुदागंज, धरगोड़ी तथा मेडोरी व चन्दनपुरा व उनके सीमावर्ती
 ग्रामों में सम्बन्ध निम्नी भूमि की जारीद बिछी की संवीयन विधेयों पर
 आधारित दरें प्राप्ति की गई। संशोधित भू-वर्जन अधिनियम की धारा 23(1) व
 के प्रथम परन्तुक में दर निर्धारण की व्याख्या यह है, कि मुवायजा उत्साजार
 दर से तय किया जाता है, जो कि धारा 4(1) की अधिनियमों तिथि पर
 प्रचलित हो। इस प्रकरण में धारा 4(1) की अधिनियम म.प्र. राजपद भाग-1
 में दिनांक 23.12.85 को प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार उक्त लुदागंज, धरगोड़ी
 तथा, चन्दनपुरा व मेडोरी व उनके सीमावर्ती ग्रामों में प्रचलित बाजार दरें
 अधिनियम प्रकाशन तिथि से एक वर्ष की छे अर्थात् छह छह दिनांक 22.12.87
 से 22.12.88 तक, जिसमें प्रकाशन का माह दिसम्बर भी शामिल है, में हुई,
 भूमि की जारीद बिछियों को बाजार दर माना गया।

म.प्र. भू-वर्जन निरमावली भाग-2 के परिषद 42 के निम्नो में
 बाजार दर की व्याख्या यह है, कि "बाजार दर किसी हलाके की जमीन की
 लक्ष्य कीमत है, जो जमीन की लामियों और लुबियों को ध्यान में रखाकर
 एक हलामण्ड विक्रीता व क्रेता तय करें।

8. उपरोक्त धर्जन में उपर्युक्त मुख्यालय, भोपाल के यहाँ बाली,
 बलधि में ग्राम लुदागंज, मेडोरी, धरगोड़ी तथा में कुचि भूमि निम्न संवीयन -
 विधेयों द्वारा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

9. बंधनबद्ध भूमि पर कम, ज्यादा व ज्यादा की दरों के साथ-साथ तथा भुंज, मराम करों का देना है। अतः वना गुणवत्ता परामर्श का प्रयोग ही ही है।

10. शोथित भू-संरक्षण अधिनियम 1984 की धारा 23(1) के अंतर्गत अधिसूचित भूमि पर धारा 4(1) की अधिसूचना प्रकाशन तिथि से पचास प्रतिशत तक की अधिकतम 12% वार्षिक दर से अतिरिक्त अतिरिक्त मुआवजा राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीमित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मुआवजा राशि पर नहीं दी गई है। अतिरिक्त मुआवजा राशि अधिसूचित भूमि के भौतिक संरक्षण के कार्यालय के अंतर्गत स्थित होने के कारण प्रकृत संरक्षित स्थिति में वृद्धि कर देकर प्रदान की गई है। इसके साथ ही शोथित अधिनियम की धारा 23(2) के तहत अधिनियम - अधिसूचित राशि/सोपेसिबल राशि के रूप में बाजार मूल्य राशि/भू-संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित राशि पर 5% पर 30% राशि प्रदान की जाती है।

11. मान्य है, कि अधिसूचित भूमि नगर भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत जाती है परन्तु समस्त भूमि का मुआवजा नगर भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया जाय। यदि नगर भूमि सीमा में भूमि मुक्त की जाती है, तो मुआवजा राशि भू-संरक्षण अधिनियम के तहत दी जा सकती है।

12. प्रकरण में ग्राम मुदागुल, बरौलीकला, मंजौरी, चन्दनपुरा की क्रमांक 6-14, 3-11, 0-22, 2-10 एकड़ पिकी भूमि की कुल प्लॉट राशि क्रमांक: 2,27,687/-, 1,51,621/-, 7201/-, 77,872/- का प्लॉट राशि देना गया है तथा नगर भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत देय राशि रुपये 4971/-, 2518/-, 178/-, 1700/- है।

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 896/सात/ सा-2बी/05 दिनांक 23-6-85 के अन्वय में प्लॉट राशि दत्त सात से कम होने से प्लॉट अनुमोदन हेतु जिनाबक भौतिक की ओर देना गया।

इति-एवं भूमिधारकों की उपस्थिति में धारा 12(1) के तहत परित किया गया है।

अतः एवम् अनुदान उपरोक्त भूमिधारकों को धारा 12(2) के तहत वृत्त से हटना ही वांछनी।

जिनामदार

डी.के. बाजपेयी,
उपनिर्वाहक,
एवं
उपनिर्वाहक,
भीपाल.

True Copy
AS
2

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 'साहसी' कारखाना' हेतु वारी 45/1 साहस नोदवण वार्ड, पि.- साहस.	2-02 6175-96	25,800/- 0-20	30,500/- 1635/-	15,120/-	19,840/-	65,400/- 1635/-	1638/-	-	-
3. 'सा' कारखाना' हेतु वारी 46/1 साहस नोदवण वार्ड, पि.- साहस.	0-48 1943-08	-	12000/- 309/-	300/-	4710/-	20,315/- 309/-	369/-	-	-
आज कारखाना' वार्ड वृत्तीय सविता	3-11 12089-20	25000/- 0-20	77,750/- 25,10/-	25,320/-	30,546/-	1,31,671/- 2510/-	2518/-	-	-

आज वारी वारी:-

1. 'सा' कारखाना' वारी वारी 114 साहस वार्ड, पि.-साहस.	0-22 890-26	21,213/- 0-20	4567/- 178/-	140/-	1034/-	7901/- 178/-	178/-	-	-
---	----------------	------------------	-----------------	-------	--------	-----------------	-------	---	---

आज वारी वारी:-

1. 'सा' कारखाना' वारी वारी 77/1/2 साहस, पि.-साहस.	2-10 8500-60	21,905/- 0-20	46,000/- 1700/-	15,800/-	18,072/-	77,072/- 1700/-	1700/-	-	-
--	-----------------	------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	--------	---	---

2. 'सा' कारखाना' वारी वारी:- 18 वारी वारी.	6-14 5485-72	21,905/- 0-20	1,34,497/- 2077/-	45,349/-	95,041/-	2,27,607/- 2077/-	4971/-	-	-
वारी वारी वारी वारी वारी वारी	11-07 41035-36	-	2,62,914/- 9317/-	76,074/-	1,05,157/-	4,45,081/- 9317/-	9367/-	-	-

Handwritten signature and text at the bottom right of the page.

सं-अर्जन/908-92

दिनांक 9-4-92

कार्यपालनयंत्री,
कल्याणतोत शीर्ष कार्य विभाग,
70, महाराजा प्रतापनगर, भोपाल-460001
भोपाल।

1753
20/4/92


विषय: न. कल्याणतोत, बहोव मार्ग हेतु ग्राम छदमगंज, बरजेडीकला, मैजोरी एवं कंदनपुरा की भूमि का...

आपका पत्र क्रमांक 2004/80, दिनांक 16.6.89, दिनांक...

उपरोक्त

उक्त विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव के अन्तर्गत -
ग्राम. छदमगंज, बरजेडीकला, मैजोरी, पट्ट. कंदनपुरा.....की निजी भूमिका अर्जन विद्या
कार्ड खातों प्रति तालिका भेजी जा रही है। इस खातों के अनुसार कुल मुआवजा राशि
रुपये 4,45,081/- होती है। कृपया उक्त मुआवजा राशि का भुगतान तहसील-
द्वारा भोपाल...के समक्ष कर मुआवजा प्राप्ति की अभिवृद्धि तथा वाधिपत्य प्रामाण्य-
पत्र के दो-दो प्रतियां इस कार्यालय में प्रकरण के अंतिम निराकरण हेतु भेजने का कष्ट
करें। खातों की संख्या 11 एवं 12 के अन्तर्गत निर्देशानुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया
गया तथा 44,508/- 10% के मान से इस कार्यालय जमा कराई जाय।

कल्याणतोत खातों प्रति


अर्जन अधिकारी,
भोपाल

आपका पत्र क्रमांक...../अ-अर्जन/91

दिनांक 9-4-92

विषय:-

- महालेखाकार, म.प्र. कार्यालय की ओर सूचनाएं।
- जिला कार. इंदौर, भो.पाल की ओर सूचनाएं एवं खातों राशि वितरण कराएं।
- योग हेतु अर्जन। वे कृपया अर्जित भूमि का वाधिपत्य विभाग को सूचित कर भूमि का नामान्तरण विभाग के नाम करें तथा लगान आरिज कर इस कार्यालय को सूचित करने का प्रावधान भेजने की व्यवस्था करें।

कल्याणतोत खातों प्रति

अ-अर्जन अधिकारी

प्र. 545/अ-वी/89

दिनांक 19-12-89

प्रति,

20

कार्टा नं. 1, 2,
कलियासोत गाँव न. 1, भाग,
प्लॉट नं. 070, नारायण प्रताप नगर, भोपाल।

विषय:- कलियासोत गाँव न. 1 के वायु विभाग हेतु मिट्टी काढाने के लिए ग्राम दानवो, धीरान की भूमि का अर्जन।

सन्दर्भ:- आरका पत्र प्र. 02004/89 भोपाल दिनांक 16.6.87.

उक्त विषयान्तर्गत आरके संदर्भित प्रस्ताव के अनुसार ग्राम दानवो धीरान की 10.692 हेक्टर, 26.42 एकड़ भूमि का अर्जन दिनांक 5-12-89 द्वारा किया गया, जिसकी एआर्ड राशि 8,46,074/- रुआठ लाख-पचासी हजार चौहत्तर रुपये मात्र है। कृपया प्रस्ताव राशि का भुगतान तहसीलदार, इन्चार्ज के समक्ष करने का कष्ट करें। भुगतान के समय आविष्टक प्रमाण पत्र का वाकती की अभिलेखित तीन प्रतिकों में प्राप्त कर दो प्रति आ कार्यालय को भेजें, जो ताकि प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण दिया जा सके।

कलियासोत गाँव न. 1

T.S.
19/12/89

1611-1A
41.75
22/12/89

संलग्न-एआर्ड 3 एआर्ड पत्र

भू-अर्जन अधिकारी,
भोपाल।

प्रमाणक नं. /अ-अर्जन/89

दिनांक 19-12-89.

प्रतिनिधि:-

1. महालेखागार, मण्डल कार्यालय की ओर एआर्ड 3 एआर्ड पत्र सहित सूचनाएँ एवं आवश्यक कावेलास हेतु।
2. तहसीलदार, तहसील इन्चार्ज, जिला भोपाल की ओर तदधिकृत भूमिदाता को भुगतान में सहयोग करने पर अर्जित भूमि का आविष्टक विभाग को दिलाकर नया नं. एआर्ड कर विभाग के नाम नामांतरण कराने के अग्रोपक।

संलग्न-एआर्ड 3 एआर्ड पत्र

भू-अर्जन अधिकारी,
भोपाल।

प्रमाणक नं. /अ-अर्जन/89

कार्यालय सभेष्टर (पु-उर्ज), भोपाल, मध्य प्रदेश.

बीजासीय अधिकारी :- श्री जीकेवाजरेयी,
उप जिनाध्यक्ष एवं पु-उर्ज अधिकारी,
भोपाल ।

निम्नित पु-उर्ज प्रकरण सं० :- 11/3-82/87-88.

कार्यपालन सं०,
कनिवासोत शीर्ष कार्य सभाग,
प्लॉट नं० 70, महाराजा प्रताप नगर, भोपाल.-----जाचेदक ।

1. श्री हकीम एहमद पुत्र श्री जमील एहमद,
निवासी जहांगीराबाद, भोपाल ।-----जाचेदक ।

2. स्वधया श्री दुर्गेदमदाद क्वी,
निवासी जहांगीराबाद, भोपाल.-----जाचेदक ।
दोनों कुलग्न ग्राम दामधोडा बीरान,
तहसील हुडर, जिना भोपाल, मध्य प्रदेश.

"एचार्ड"

दस्तावेज द्वारा 11 संतोषित पु-उर्ज अधिनियम 1984

पारित एवं उदघोषित आज दिनांक-----5-12-87

जिनाध्यक्ष मसौदय द्वारा अनुमोदित दिनांक-----16-12-87

....

कार्यपालन सं०, कनिवासोत शीर्ष कार्य सभाग, प्लॉट नं० 70,
महाराजा प्रताप नगर, भोपाल मे अपने पत्र सं० 2004/88 भोपाल,
दिनांक 16-6-87 के द्वारा जिनाध्यक्ष, भोपाल को कनिवासोत परिवर्जना
के साथ निम्न कार्य सिद्धी जादाने तहसील हुडर, जिना भोपाल के
ग्राम दामधोडा बीरान की 10-692 हेक्टर 26-42 एकड़ निजी भूमि की
आवश्यकता प्रतिपादित की और निजा नि क्वी प्रथि अधिकृत करके
कनिवासोत शीर्ष कार्य सभाग, भोपाल को उक्त कार्य को जादे ।

2. प्रस्ताव की जांच की जा लखनऊ राजस्व विभाग एवं बटवारी भोपाल से कराई गई। ~~प्रस्ताव को अंतिम स्वरूप में प्रस्तुत किया गया।~~ प्रस्ताव को अंतिम स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। ~~प्रस्ताव को अंतिम स्वरूप में प्रस्तुत किया गया।~~ प्रस्ताव को अंतिम स्वरूप में प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही में, कलकत्ता, सीधे कार्य संभाग, भोपाल द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया। ~~अधिसूचना जारी की गई।~~ अधिसूचना जारी की गई। ~~अधिसूचना जारी की गई।~~ अधिसूचना जारी की गई।

अनुसूचित, भोपाल संभाग, भोपाल ने अपने पत्र सं० 9660/4/87 दिनांक 9.11.87 द्वारा प्रकरण में धारा 17(1) के वास्तविक प्रावधानों के अधिसूचना जारी की गई है।

4. अतः धारा 4(1) तहत धारा 17(1) की अधिसूचना सं० 11/ब-82/8786 भोपाल, दिनांक 20.11.87 जारी की गई जो कि म० प्र० राजस्व भाग एक में दिनांक 11 दिसम्बर 1987 को पृष्ठ सं० 2602 पर प्रकाशित एवं सार्वजनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 8.12.87 एवं स्टैंडर्ड में दिनांक 3.12.87 को प्रकाशित हुई। अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन ग्राम के तार्किक स्थान पर तथा विहित शाब्दिक शर्तों के अधिसूचना धारा तहत व जिला मुख्यालय के उपना पटल पर दिनांक 13.1.88 को प्रकाशित किया गया।

5. प्रकरण में अनुसूचित भोपाल संभाग भोपाल से धारा 17(1) एवं (2) के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। अतः धारा 17(4) के प्रावधानों के अभाव में इस प्रकरण में धारा 5(ए) के तहत भूमिधारकों से वास्तविक वास्तविक करना आवश्यक नहीं रहा।

6. तत्पश्चात् भूमि के अधिग्रहण संबंधी शासन के ह्रास के अधिसूचना सं० 11/ब-82/87-88 भोपाल, दिनांक 29.1.88 जारी की गई, जो कि म० प्र० राजस्व भाग-1 में दिनांक 12.2.88 को पृष्ठ सं० 376 पर प्रकाशित

3

हुई एवं स्थानीय समाचार पत्र तांत्रिक प्रचार में दिनांक 7-2-88 को एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नदीम में दिनांक 6-2-88 को प्रकाशित हुई पोखरा का तार सीप में ग्राम के तांत्रिक सभन तथा विहित शाब्दकार्य में जिनमें संबंधित ग्राम के पुलिस थाना तथा तहसील व जिला मुख्यालय के सूचना पटल पर दिनांक 28-3-89 को ⁶⁻³⁻⁸⁸ करवाया गया ।

7. मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 1-107/7-सा-2बी/1986 दिनांक 23-3-85 मंत्रालय विभाग एक में दिनांक 13-12-85 को ¹³⁻¹²⁻⁸⁵ 1964 पर प्रकाशित अधिसूचना के तहत क्लेक्टर को अधिसूचित किया गया कि धारा 7 के तहत भूमि का अधिभूत प्राप्त करने का कार्यवाही करें। तथा धारा 9(2) की सुचना के प्रकाशन के 15 दिन परचाय भूमि का अधिभूत प्राप्त करें। उक्त आदेश के परिपालन में धारा 9(1) एवं 9(3) की सुचना जारी करके उपरोक्त दोनों भूमिधारकों से उनकी भूमि के मुआवजे के दावे तथा तत्संबंधी मौखिक अथवा अभिलेखांगीय साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किये गये। आवादेदकों की ओर से भी जमीनबंद मद उपरिस्थित हुई। उन्होंने क्लेक्टर प्रस्तुत करने हेतु समय ^{साथ} दिया व समुचित उत्तर प्रदान करने पर भी आवादेदकगण अनुपस्थित रहे। उनके विरुद्ध एक पञ्जीय कार्यवाही की जाती है।

8. **कतः** मुआवजे की दर निर्धारण करने के उद्देश्य से उप पञ्जीयक मुख्यालय श्रीपाल्के ग्राम दामडोडा तथा उसके सीमावर्ती ग्रामों में सम्बन्धित निजी भूमि गरी बिक्री की पञ्जीयन क्लेक्टरों पर आधारित बिक्री दरें प्राप्त की गई। भूमि की मुआवजे दर निर्धारण का आधार तत्संबंधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 23(1)ए के प्रथम पैरा के अनुसार मुआवजा उस बाजार दर से तय किया जाना है, जो भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) की अधिसूचना प्रकाशन तिथि पर प्रचलित हो। प्रकरण में धारा 4(1) अधिसूचना मंत्रालय में दिनांक 11-12-1987 को प्रकाशित हुई जिले के अनुसार उपरोक्त ग्राम और उसके सीमावर्ती ग्रामों में प्रचलित निजी जमीन की जारीय बिक्री की बाजार दर की अधिसूचना प्रकाशन तिथि से जनवरी 1987 से दिसम्बर 1987 के मध्य में हुई जमीन की जारीय बिक्रीयों को बाजार दर मानना उपयुक्त होगा।

उपरोक्त बंदिन में 14 सेंटिमीटर मुख्यालय में जनवरी 1987 में
 दिसम्बर 1988 की अधिमें ग्राम बानोड़ कीरान में निजी भूमि की
 जारीद विही के बानोड़ अधि में निम्न विवेक वाले गये जिसकी
 जारीद विही का विवरण निम्नांकित है:-

क्र. सं.	विही का विवरण	क्य-नामा मुल्य	ग्राम विहीता	नाम जेता	संजीवन
1	2	3	4	5	6
1	1.18/1/2/2/3/2 0.50 बासरा रक्षा पकड़ में	39,000/-	दाताप्रसाद, रामचन्द, बुद्धम शेरखान श्रीधरराम जाति मीना नि० न्यापुरा, भोपाल.	श्री रागजन, 2045 कल्याण गुड- निमिणि सह- समिति, भोपाल. नि०	2045 वा/5044 13.7.87
2	149 3.90	62,400/-	रामचरण, पुरन जा० श्री जी लेखी, नि०- तेमराकला	श्रीगति आशा गुप्ता बत्नी श्री रमाकान्त अ० दुर्गाप्रसाद आ० स्व० रामचरण लाल गुप्ता, नि०- ईदगाह हिस्सा, भोपाल.	495 वा/4956 1.5.87
3	2.00	32,000/-	-	श्री शरीमोहन आ० बाकुराम गुप्ता, नि० ईदगाह हिस्सा, भोपाल.	270क वा/4964 7.5.87

9. उपरोक्त संपत्ति संजीवन जिला बानोड़ अधि में निष्कायित हुए
 हैं। इन विही वनों के आधार पर निजी जमीन की औसत विही दर
 रुपये 20,843=75 प्रति एकड़ जाती है। अतः उपरोक्त विही वनों के
5

आधार पर अर्जनाधीन भूमि का मुख्य रूप से 26844/- निर्धारित की जाती है ।

10. ग्राम की अर्जनाधीन भूमि के कृषिपथ धारता 10 की अर्जनाधीन भूमि पर कन्दार अन्य प्रजाति लकड़ी के वृक्ष जिन्हें नीम, गोंदी बादि के वृक्ष, निम्न मूल्यवान् वृक्षः उप लंबालक उद्यानिकी एवं धन मण्डल अधिकारी [सामान्य] भोपाल से करवाया जाना अवैध है । उपरोक्त अधिकारी विभागीय तकनीकी है । निम्न से मूल्यवान् के लक्षण है । अतः इन्का मूल्यवान् प्रतिवेदन यथा स्थिति स्वीकार होगा । भूमि पर कोई भी कुबा, कान बादि नहीं है । अतः इन्का मूल्यवान् निर्धारित आवश्यक नहीं है ।

11. इसी प्रकार संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 23(1) के अर्गत भूमि की मुख्य राशि पर धारा 4(1) की अधिसूचना प्रकाशन तिथि 11 दिसम्बर 1987 से एवार्ड तिथि 5-12-89 तक 12% वार्षिक दर से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है । अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि अर्जनाधीन भूमि भोपाल शहर के नगरीय समीप स्थित होने के कारण उसकी सामान्य दृष्टिमान मुख्य क्षता को दृष्टिगत रखाकर प्रदान की गई है । साथ ही भूमि की बाजार मूल्य राशि पर संशोधित अधिनियम की धारा 23(2) के तहत 30% लीक्चर अधिसूचना राशि प्रदान की जाती है ।

12. अर्जनाधीन भूमि का किसी भी भूमिधारक से उसकी भूमि का वाणिज्य नहीं लिया गया है । अतः अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज की गणना अनावश्यक है ।

13. अर्जनाधीन भूमि नगर भूमि सीमा अधिनियम के तहत जाती है । इसलिए सधम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा भोपाल के न्यायमय से जानकारी प्राप्त करने हेतु लिखा गया किन्तु सधम प्राधिकारी नगरीय, भोपाल से अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई । यह जानकारी की प्रक्रिया में अनावश्यक विनम्र वा रहा है । जानकारी की प्रत्याशा में एवार्ड पारित करना शासन सित होगा क्योंकि समयावधि में एवार्ड पारित नहीं किया गया तो प्रकरण की अधिनियम की धारा 11(3) के तहत समस्त कार्यवाही प्रभाव शून्य हो जायेगी तथा पुनः प्रकरण की प्रथम कार्यवाही पूर्ण करने में लगने वाले समय के लिए अतिव्यतीव भार पड़ेगा । अतः शासन सित में एवार्ड पारित करना उचित होगा । एवार्ड ... 6

एवाड राशि का मुगलान नाम प्राधिकारी से प्राप्त जानकारी उपरान्त
किया जाये ।

ग्राम दाम छोड़ा हीरान की अर्जाधी 26.42 एकड़ निजी व
की मुजावजा राशि 8,46,074/- रुपये होती है । इस राशि में दुबों
की राशि की गणना सम्मिलित नहीं है । मुन्सिफन प्रतिवेदन प्राप्त हो
पर यह राशि अति देय होगी । म० प्र० शासन राजस्व विभाग की
अधिसूचना क्र० 8-13-तात-ता-2बी-87 भोपाल, दिनांक 22.7.88 के
अनुसार एवाड राशि इस लाहा रुपये की वित्तीय सीमासे अन्तर्गत है ।
अतः एवाड अनुमोदन हेतु जिलाध्यक्ष भोपाल को भेजा जाये । चूंकि एवाड
भूमिधारकों की अनुव्यक्ति में धारा 12(1) के तहत पारित किया
गया है । अतः एवाड अनुमोदन सहित भूमिधारकों को धारा 12(2) के
अन्तर्गत एवाड की सूचना पुस्क से दी जाये ।

डिप्टी कमिश्नर महो०

अनुमोदित
08/12

श्री जी०के०वाजपेयी
ग्र-सर्जन अधिकारी,
भोपाल ।

हस्ताक्षर
h

अतिव्याप्त परिवर्धना के बाध निर्माण हेतु मिट्टी कायान हेतु अर्जित भूमि की देर मुजाबजा राशि बचक
 568011/ब-02/87-88 निर्माण दिनांक 5-12-89 ग्राम वापगोडा बीराम तहसील हज़ार जिला बीराम.

42

क्रमिक नाम भूमि स्वामी एवं उनके पति/पिता का नाम व नि. कातरा नं० अर्जित रकमा एकड़ में पु-वर्धन अधिकारी द्वारा निर्धारित दर. पु-वर्धन अधिकारी द्वारा निर्धारित दर से भूमि की मुजाबजा राशि बारा 23/1ए के तहत 122 अक्षर राशि धारा 4/1 की अधिग्रहण दि० 11-12-87 से दि० 05-12-89 तक [719 दिन] बारा 23/2 के तहत 302 अक्षरों की अधिग्रहण राशि का कुल योग कातरा नं० 64748 का बन्ध विवरण योग.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धीमति स्वयंदा की कुबी बनराव कनीध नि० जवांगीराबाद, बीराम	15/1	15.00	20,844/-	3,12,660/-	73,908/-	93,798/-	4,60,368/-	-
2.	बी कमील एरमद पु० खील एरमद नि० जवांगीराबाद, बीराम.	15/2/1	11.42	-	2,38,038/-	56,264/-	71,411/-	3,65,713/-	-
ग्राम का कुल योग		2 नि.	26.42	-	5,50,698/-	1,30,172/-	1,65,209/-	8,46,081/-	-

(42)
 पु-वर्धन अधिकारी,
 बीराम।
 Date: 11/12/89

क्रमांक 460/अ-अर्जन/89

दिनांक 12.7.89

श्री. 13

कार्यपालन पंजी,
कल्याणोत्त शीघ्र कार्म संभाग,
भोपाल ।

227

विषय:- कल्याणोत्त बांध के निर्माण हेतु ढुगि का अर्जन ।

सन्दर्भ:- कायडा नं 0757/के.एस. प्रवृत्त दिनांक 11.3.87

....

उक्त विषयान्तर्गत ढुग्या आने संदर्भित पत्र का अल्लोकन करें ।

आपके प्रस्ताव के अनुसार कल्याणोत्त बांध के निर्माण हेतु
ग्राम लुदागैज, डावनी, कोटरा मुस्तागाबाद, नना भट्टी तथा चन्दनपुर
की निजी ढुगि का अर्जन प्रकल्प 02/पल.ए./86-87 में पारिस एवार्ड
दिनांक 4.4.89 द्वारा किया गया है । इसके अनुसार एवार्ड राशि रुपये
5,98,799=00 होती है ।

उक्त राशि संश्लिषत ढुगिधारकों को तहसीलदार, तहसीलदार, भो
के समत वितरण करें । साथ ही राशि वितरण करते समय ढुगिधारकों
तीक्ष्ण प्रतिधों में कब्जा नामा लिहावाकर दो-2 प्रतिधियाँ एवं भुगतान क
नई राशि का अभिलेखित पत्रक इस कार्याल को शीघ्र भिजवाने की च
करें, ताकि प्रकल्प का निराकरण किया जा सके ।

सलमन-एवार्ड व एवार्ड-पत्रक


भु-अर्जन अधिकारी,
भोपाल ।


सूचकांकन 0 /अ-अर्जन/89

दिनांक 12.7.88

प्रतिलिपि:- 11

महालेखाकार न.प्र. खालियर की ओर एवार्ड प्रति सल्लिषत
सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्र प्रेषित

070700-2



460 111

28) तहसीलदार, तहसीलदार, भोपाल की ओर एवार्ड सहित अधीकृत ।

के द्वारा अर्जित भूमि का लगान सार्वजनिक कर संबंधित विभाग के नाम से राजस्व अभिलेख में प्रतिष्ठित कर इस कार्यालय को अगत करावे तथा कार्यपालन यंत्री, को भूमिधारकों को सुआब्जा राशि भुगतान कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

संलग्न:- एवार्ड व एवार्ड-पत्र

भू-उर्जन अधिकारी,
भोपाल ।

421
न्यायानुसंधान-वर्जन अधिकारी, जिला भोपाल

पीठाधीन अधिकारी:- श्री ठीकेबाबुजी,
उप जिला अध्यापक एवं
सु-वर्जन अधिकारी,
भोपाल ।

निम्नलिखित सु-वर्जन प्रकरण क्रमांक 2/सम.प/86-87.

कार्यवाहन संवी,
कनिष्ठागत शीर्ष कार्य संग्रह,
भोपाल ।

... बादेदक

विस्तृत

1. साहिदाबाबु पत्नी अब्दुल रहमान
निःसहस्यदाबाद कारतकार कोटरा-
सुल्तानाबाद ... बनादेदकगण
2. श्री नन्दराम, चौदोलाल पुत्र
प्यारेनात खीर एवं अन्य कारतकार-9
निः छावनी ।
3. श्री नन्दलाल, बिहारीलाल पुत्र
रामलाल, निःशरकोठीकरा व
सुंदरी देवा ठाडीलाल, सुरजनसिंह,
कमलसिंह, भोपालसिंह पुत्रगण सुनीलाल
दि. 1/2 व मायाराम पुत्र मनसत दि. 1/2
निःठावनी ।
4. श्री मोहम्मद अख्तरमान पुत्र सहर-
गान निःभोपाल कारतकार सुनाभदटी ।
5. साहिदाबाबु पुत्री अब्दुदजी,
निःभोपाल व नाजिमजी
पुत्र मोहसिनसली, कारतकार-
अब्दुनुरा तहसील हुन्नर, जिला भोपाल ।

प्रार्थना

वस्तुतः धारा 11 संशोधित अधिनियम त्र 1984

पारित एवं उद्योगिक धान दिनांक 4-4-89

जिला अध्यापक द्वारा अनुमोदित दिनांक... 11. 2. 89

सु.प.उ.-2

कार्यपालन यंत्री, कमिश्नातोत शीर्ष कार्य सभाग, भोपाल में अपने पत्र-
 सं० 757/वे० एन० ७७७ दिनांक 11.3.87 द्वारा कमिश्नातोत बांध के निम्नलिखित
 तहसील हुजूर, जिला भोपाल के ग्राम वृदागंज की 2.413 हेक्टर, ठावनी की
 2.130 हेक्टराहल्लानाबाद की 0.567 हे०, वृना चट्टी की 7.810 हे० तथा
 चन्दनपुरा की 2.930 हे० निम्नी भूमि को सीपु अर्जित कर कार्यपालन यंत्री,
 कमिश्नातोत शीर्ष कार्य सभाग के नाम हस्तान्तरण करने हेतु लिखा ।

2. कार्यपालन यंत्री, कमिश्नातोत शीर्ष कार्य सभाग, द्वारा भूमि का बाधि-
 पत्र अतिरिक्त धारा म्या पा । अतः बाबुलत, भोपाल सभाग, भोपाल से यह
 अजुरोध किया गया कि, वे भूमि का शीघ्र बाधिपत्र प्राप्त करने के लिए
 अधिनियम की धारा 17(1) के तहत बाधातकालिक प्रावधानों के प्रयोग की
 अनुमति प्रदान करें । बाबुलत, भोपाल सभाग, भोपाल के पत्र सं० 550/साधा-4/87
 दिनांक 09-07-87 द्वारा अनुमति प्रदान की गई ।

3. उक्त अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् अधिनियम की धारा 4(1)
 तहसील धारा 17(1) की अधिसूचना सं० 2/एन.ए/86-87 दिनांक 4-4-87 को
 जारी की गई, जो कि म.प्र.राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ सं० 005-6 पर दिनांक 17-4-87
 को तथा दैनिक समाचार नव भारत में दिनांक 7-12-87 व दैनिक भास्कर में
 दिनांक 08.12.87 को प्रकाशित हुई । अधिसूचना के तहत जिले का प्रकाशन ग्रामों के
 तार्किक स्तन तथा विहित शासकीय कार्यालय, जिले के ग्रामों के प्रमित शाना,
 तहसील व जिला मुख्यालय के मुखना पत्र पर दिनांक 22.6.87 को कराया गया ।

4. चूंकि प्रकरण में बाबुलत, भोपाल सभाग, से धारा 17(1) ध० 2(2) के
 प्रावधानों को लागू करने की अनुमति प्राप्त हुई थी । अतः धारा 17(4) के
 प्रावधानों के अभाव में दल प्रकरण में धारा 5(ए) के अन्तर्गत भूमिधारकों से
 बाधितियों धारित करना आवश्यक नहीं रहा । प्रकरण का अंम परीक्षा करने
 पर स्पष्ट हुआ, कि वृना चट्टी स्थित भूमि कासरा सं० 104/70 रकबा 19.50 एकड़
 में से 13.30 एकड़ भूमि कृषि जोत अधिस्तम सीमा अधिनियम के तहत अतिरिक्त
 घोषित हो चुकी है । प्रस्तावों के तहत भूमि कम कर 2-2-88 सं० 2/एन.ए/86-87 दिनांक 16-09-87
 भूमि का ही अर्जन किया जाना स्पष्ट हुआ । इसके अलावा भूमि के अधिपत्र के
 सम्बन्ध में शासन के धारा 6 की अधिसूचना के लिए अधिनियम की धारा 6 की अधिसूचना
 सं० 2-एन.ए/86-87 दिनांक 9-2-88 को जारी की गई । उस अधिसूचना का प्रकाशन

म.प्र.राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ 3580 पर दिनांक 26.2.88 को हुआ 3 स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 25-2-88 तथा दैनिक जागरण में दिनांक-27-2-88 के संक में जोरफटा प्रकाशित हुई। जोरफटा के तार क्षेत्र का प्रकाशन ग्रामों के सार्वजनिक स्थल व तहसील, ब्लॉक के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 1.3.88 को करवाया गया।

5. राजस्व विभाग की अधिसूचना ई01-107/तात/सा-स्थ/83 शोपान, दिनांक 03-12-85 जो कि म.प्र.राजपत्र में दिनांक 13.12.85 को पृष्ठ ई01964 पर प्रकाशित हुई के अनुसार ब्लेक्टर एवं कमिटर के धारा 7 प्र-वर्न अधिनियम के तहत अधिस्त किया गया, कि वे धूमि का अधिस्त प्राप्त करने की कार्यवाही करें। जिलाध्यक्ष, शोपान द्वारा दिनांक 21.5.88 को धूमि के अधिस्त प्राप्त करने के निर्देश दिये गये, जिले परिसर में दिनांक 24.8.88 को धारा 9[1] एवं 9[3] की पूर्णता जारी करके सभी धूमिधारकों से उनकी धूमि के मुदाब्दे के दावे संबंधी मौखिक तथा अभिलेखीय साक्ष्य संग्रहित की गई। सभी धूमिस्वामियों को धारा 9 की पूर्णता विधिगत तामिल कराई गई, जिसके उत्तर में निम्न धूमिस्वामियों द्वारा उनकी धूमि के मुदाब्दे संबंधी दावे निम्नांकित

प्रस्तुत किए गये:-

नाम	ग्राम	दिनांक	नाम धूमिस्वामी एवं उसके पिता/पति का नाम व निवास्थान	कतारा ई.	लेनकल	मांगीयर् मुदाब्दा राशि
2	3	4	5	6	7	
जवनी		7.5.88	श्रीमती मथुरा व अन्य	58	0.069	[1] मुदाब्दाराशि 4,00,000/- रुपये प्रति हे० दिये जाने की मांग की है. [2] 10% व्याज दिये दिये जाने की मांग की है कच्चा तिथि है। [3] 30% वार्षिक अधिग्रहण राशि दिनाये जाने की मांग की है।

निष्ठावनी हनोटिस दिये जाने के उपरान्त अनुपस्थित रहे । उनके विरुद्ध एक शहीद कार्यवाही की जाती है ।

7. मुवायजों के तिजिहत दादों के तदर्थ में अनावेदकों द्वारा कोई भी मौजिहक या निजारी साक्ष्य प्राप्त नहीं की है, जिससे अर्जाधीन भूमि का उनके द्वारा प्रस्तुत क्लेम की दर मान्य ही जा सके अनावेदक को कफ़ूरबमान द्वारा वर्ष 1956, 1961, 1982 एवं 1983 की भूमि की विक्री हुई रजिस्ट्री की प्रतियाँ प्रस्तुत की, जो बालोज़्ज खति के तारर की है । अतः मान्य किया जाना न्याय संगत नहीं है । इसलिये मुवायजे की दर का निश्चय करने के उद्देश्य से उप-शहीदक मुख्यालय, गोपाल से ग्राम ठायनी, कौटारा-हस्तानाबाद, जामगंज, हुना भट्टी, चन्दनपुरा तथा उनके माह-पास के समीपवर्ती ग्रामों में सम्बन्ध निजी भूमि की जारीद शिष्टियों के शहीदक विवेकों पर आधारित विवेक दरे प्राप्त की गई ।

8. अ-अर्जिन अधिनियम 1894 संगोष्ठि अधिनियम 1904 की धारा 23(1) के प्रथम पैरा के अनुसार मुवायजा उस दर से छ लव किया जाना है, जो धारा 4 की अधिवचना की प्रकाशन तिथि पर प्रचलित हो । इस प्रकरण में धारा 4(1) की अधिवचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में 17-4-67 को हुआ, जिसके अनुसार उक्त ग्रामों कौटाराहस्तानाबाद, ठायनी, जामगंज, हुनाभट्टी तथा चन्दनपुरा में छल्लि प्रचलित निजी भूमि एवं समीपवर्ती ग्रामों की जारीद शिष्टियों को बाजार दर मानना न्याय संगत है । अतः धारा 4 की अधिवचना प्रकाशन तिथि के वर्ष 1967 के ठे:माह पूर्व अर्थात् अक्टूबर 1966 से प्रकाशन तिथि ठे: माह अर्थात् अक्टूबर 1967 के मध्य, जिसमें - अधिवचना प्रकाशन का माह अर्थात् ठे: माह की शरामिन है, में हुईजमीन की जारीद-शिष्टियों को बाजार दर की आधार माना जाना उपयुक्त होगा ।

महोदय-अर्जिन निष्ठावनी भाग-2 के परिपत्र के पैरा 43 के निर्देशों में बाजार दर धिती हलाके की जमीन की दर डीमा है, जिसे एक हल्लक जारीददार एउ राजामन्द विवेका की हल्ले बाजार में मिलने वाली डीमा पर जमीन की जूधियों और ठायियों को ध्यान में रखाकर देई करें ।

1985/078-25

की स्थिति एवं उसकी मुख्य अंशता को बाँकते हुये ग्राम का हल्क 22,667/- रुपये प्रति एकड़ की दर से निर्धारित की जाती है।

ग्राम कोटराभुस्तानावाद में कोई रजिस्ट्री नहीं मिली एवं ग्रामाभट्टी में केवल 00। रजिस्ट्री मिली थी। अतः उसे आधार नहीं माना जा सकता। ग्रामों में उप वंजीयक कार्यालय में धुक्ता भूमि के कोई जारीद बिछी के पंजीयन टिकेता प्राप्त नहीं हुये। ग्राम गूदागंज की सीमा कोटराभुस्तानावाद तथा ग्रामाभट्टी से मगी हुई है। इस कारण ग्राम गूदागंज में प्राप्त बिछि पत्रों के आधार पर इन ग्रामों की वर्तनाधीन भूमि का सभी हल्क निर्धारित किया जाता है।

अतः उपरोक्त ग्रामों के तीनाखर्चा एक अन्य ग्राम वंजिपत्री में वानोज्य कृषि में निम्न पंजीयन टिकेता वाले गये बिमला विवरण निम्न-व्युक्तार है :-

क्र०	नाम धिक्ता एवं पिता/पति का नाम व पता	नाम देता एवं पिता/पति का नाम व पता	विषय भूमिका क्षेत्र का विवरण एकड़ में।	धननामा हल्क रुपये।	पंजीयन		
					प्रविष्टि क्रमांक	जिस्ट्र क्रमांक	दिनांक
2	3	3	64	5	6	7	
1.	कारण सुनी बान्दे नारायण ठाकुरन नि० ठाकुरागीरा-बाद, बोपाल	ठाकुरास्वरूप बा० ठाकुरास्वरूप, नि० 17/16, साज्ज-टी.टी.नगर, बोपाल.	6.05	47,952/-	2994	31/5094	17-06-87
2.	---	सुबोधनसुवादीव बा० ठाकुरास्वरूप ठाकुरमण, नि०-9, हर्षावर्धननगर, बोपाल.	6.00	42,000/-	2995	31/5094	---

[कु० ए० ए०-०]

उपरोक्त विधि पत्रों की विवेचना से स्पष्ट होता है, कि -

उपरोक्त सभी विधि पत्र बाबोहन अधिदे दापरे में निम्नलिखित दिये हैं ।
अतः इन्हीं बाजार दर के मुताबिक तिराणा के लिए स्वीकार किये जाते
हैं । इन विधि पत्रों के आधार पर ग्रामि की बोस्त बाजार दर इन्व
रूपे 7000/- प्रति एकड़ जाती है । अतः ग्राम छावनी एवं पन्दपुरा की
बर्नाधीन ग्रामि के लिए दर निर्धारण में सर्वोत्तम साध्य के रूप में मान्य
किये जा कर उपरोक्त ग्रामों की ग्रामि की दर रूपे 7000/- प्रति एकड़
निर्धारित की जाती है ।

राजस्व अभिलेखों के क्लोडन से यह स्पष्ट होता है, कि -

बर्नाधीन ग्रामों के ग्रामि राजस्व अभिलेख में बर्नाधीन ग्रामि के रूप में
बर्नाधीन है । बर्नाधीन ग्रामि की दर बर्नाधीन ग्रामि के रूप में निर्धारित
की जाती है । इसके साथ ही धारा 23(1)-(2) के तहत बाजार दर पर
बर्नाधीन ग्रामि की धारा 4(1) की अधिसूचना प्रकाशनतिथि 17.4.67 से
इलाक़े तिथि 4.4.69 तक 12% वार्षिक दर से वार्षिक बर्नाधीन राशि
प्रदान की जाती है । वार्षिक मुबादला राशि अधिसूचित ग्रामि के मोपान
द्वारा के नगरीय सामीप्य के फलरूप उसकी संभावित स्थितिमान मूल्य अन्त
की दृष्टिकोण राजस्व प्रदान की गई है । बर्नाधीन अधिसूचना की धारा
23(2) के अनुसार ग्रामि की बर्नाधीन अधिसूचना स्वरूप बर्नाधीन के
फलरूप ग्रामि की बाजार मूल्य राशि पर 50% बर्नाधीन अधिसूचना राशि
प्रदान की जाती है ।

इस बर्नाधीन ग्रामि में से कुछ ग्राम नगर ग्रामि सीमा के अंतर्गत
जाते हैं । इसलिए सभी अधिकारी, नगरीय, को जानकारी देवने हेतु
मिठा गया, किन्तु उसकी ओर से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जिसे
लिए उन्हें कई बार मिठा गया है । इति प्रकरण समझ बाध्य होने वाला
है । अतः यह जादेस्तित किया जाता है । उन ग्रामों की जानकारी प्राप्त
होने के उपरांत एवाक़े राशि का अन्तर्गत किया जाय ।

[10/10/70-9]

अध्यागत बांध के निर्माण हेतु ग्राम कोटा कुल्लानाबाद, कुल्लानाबाद, तावनी, बन्दापुरा एवं ग्राम उमदली, तहसील हुजर जिला भोपाल में अधिग्रहण भूमि का प्रारंभ राशिपत्र
 [प्रारंभ क्रमांक 2/पन-ए./86-87 में जारीत एकाई अदेश दिनांक 4.4.1989]

क्रमांक	नाम भूमिसवामी एवं उसके पिता/पति का नाम व निवास्थान	कारा क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल एकड़ में	8-अर्जन अधिकारी द्वारा निर्धारित दर प्रति एकड़	5-अर्जन अधिकारी द्वारा निर्धारित दर से भूमि की कुलमत राशि	धारा 23(1) के तहत वार्षिक दर से 12% वृद्धि वृत्ति राशि का म 4.6 पर धारा 4(1) की अधिसूचना दि-17.4.87 से एकाई दिनांक-4.4.89 तक [712दिन]	धारा 23(2) के तहत 4.6 पर 30% अन्वय अधिग्रहण राशि	कुल योग राशि	चिह्न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ग्राम-कोटा-1.	शाबेदाबानो पुवी उमदूर 311		1.00						
	शुक्रजमदाबाद, भोपाल. 312		0.40						
कुल्लानाबाद :									
	ग्राम का कुलयोग:-	2 वि.	1.40	22,667.00	31,734.00	7428.00	9520.00	48,682.00	-
2. ग्राम कुल्लानाबाद :-									
1.	बी नन्दलाल, बिहारी- 3 नाम, कुल्लानाबाद मीना, पिता-बरलोडीबाना दिबाराबाद.		1.63	22,667.00	36,947.00	6649.00	11,084.00	56,680.00	- Raid vide 5155/11 dt 22.8.87
2.	शुद्धी देवा कुलीनाम, दुर्जनसिंह, कमलसिंह, गोपालसिंह कुल्लाना बी कुलीनाम पिता/2 पाराराम पुत्र मन्सत पिता/2, पिताबरलोडीबाना.	59,60,61 65,105/65 72,73 3 वि.	0.92 1.30 2.11 4.33		96,148.00	22,974.00	29,445.00	1,58,567.00	- ✓
ग्राम का कुलयोग:-		4 वि.	5.96		1,35,695.00	31,623.00	48,529.00	1,87,247.00	-

189170-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3- ग्राम वृक्ष वृत्ती:-

1.	मो० एज्जुररहमान बाबुदर खान फिरोपोषान। ग्राम वृक्ष वृत्तवोग:-	104/78	6-00	22,667=00	1,36,002=00	31,836=00	40,800=00	2,00,638=00	-
----	---	--------	------	-----------	-------------	-----------	-----------	-------------	---

4- ग्राम वृक्ष वृत्त :-

1.	खैदा बानों पुवी वरमद खी फिरोपोषान।	3	1-84	7000/-	7,200=00	1704=00	2184=00	11,168=00	-
2.	मो० नाजिम बा० मो० रमिन्खानी फिरोपोषान।	79/1	6-20	—	43,410=00	10,159=00	13,020=00	66,579=00	-
ग्राम वृक्ष वृत्त वोग:-		2 डि.	7-24	—	50,610=00	11,863=00	15,204=00	77,747=00	-

5- ग्राम छावनी:-

1.	बी नन्दराम, खैदानान पुष्पा प्यारेलान खीर, फि. बराबर, फि. छावनी.	42	0-07	7,000=00	490=00	115=00	147=00	752=00	Recd note 5/518712 date 22-1-89
2.	सईद मो. खाँ, रसीद मो. खाँ रसीद मो. खाँ, रसीद मो. खाँ तोफिक मो. खाँ, तोफिक मो. खाँ तहसीन मो. खाँ, इज्जत खीमो खाँ खान, फिरोपोषान. फि. बराबर.	44 45 46 95/27	0-24 0-15 0-39 0-20	—	6060=00	1606=00	2058=00	10,524=00	-
3.	बी इब्रामन्द, मेखी फिरोपोषान खीर, फि. बराबर, फि. छावनी.	47	0-07	—	490=00	115=00	147=00	752=00	Recd note 5/518713 date 22-1-89
4.	बी गुलाब, मोती ना. डा. फि. बन्नामान वा. फि. मेखी माता खैदा मेखी देवा बन्नामान फि. 1/2 खैदानान फि. मिरखारी फि. 1/2 खीर फि. छावनी.	40	0-15	—	1050=00	246=00	315=00	1611=00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	श्री गोमा बाबुददा खीर, नि.छावनी	49	0.19	700000	1350	311-00	399-00	2840-00	-
6.	श्री प्यारेमान, राधेविमान, श्री विमन, बट्कनात दुग्धला छोटेराम धमार हि.बराबर नि.छावनी.	58 54 62 63	0.42 1.35 0.66 0.12						
	योग 4 कि.		2.55		17,000	4170-00	5395-00	27,303-00	-
7.	श्री दुल्ला, बबारी, ठानवन्द दुग्धला दासाराम धमार हि.बराबर नि.छावनी.	55	0.24		1600	393-00	504-00	2577-00	-
8.	मधरा देवा मालवी व दुग्धला दुन मालवी धमार हि.बराबर नि.छावनी.	56 59 61	0.17 0.32 0.28						
	योग 3 कि.		0.77		6300	1262-00	1617-00	8269-00	-
9.	श्री अमर मो.बाठराममोठ्ठा वठान, नि.बीकान.	57	0.11		22	100-00	251-00	1101-00	-
10.	श्री दुगा प्रसाद दुन गिरधारी धमार, नि.छावनी.	60	0.15		10	213-00	273-00	1396-00	-
ग्राम छावनी का कुलयोग:-		18 कि.	5.26		36,000	8619-00	11,046-00	56,856,485-00	-


1.	ग्राम छावनी का कुलयोग:-	18 कि. ✓	5.26	7,000-00	36,000	8619-00	11,046-00	56,485-00	-
2.	ग्राम दुग्धला का कुलयोग :-	1 कि. ✓	6.00	22,667-00	1,36,000	31,836-00	40,800-00	2,00,638-00	-
3.	ग्राम लूदा गेज का कुलयोग :-	4 कि. ✓	5.96		51,000	31,623-00	40,529-00	2,07,247-00	-
4.	ग्राम बन्दनपुरा का कुलयोग:-	2 कि. ✓	7.24	7000-00	5	11,863-00	15,204-00	77,747-00	-
5.	ग्राम छोटेरादुल्लानाबाद का कुलयोग 2 कि. ✓	1.40	22,617-00			7428-00	9520-00	48,682-00	-
सभी ग्रामों का कुलयोग:-		27 कि.	25.86		1	91,369/-	1,17,099/-	5,98,799/-	-

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a signature and some illegible text.

MAP OF KALIA SOTE DAM BHOVAL

SCALE

Scale	1:1000
Horizontal Scale	1 cm = 10 m
Vertical Scale	1 cm = 10 m
Scale	1:1000



SPILL CHARGE ACQUIRED LINE
ENCROACHED NATIONAL

INDEX

[Symbol]	WATER
[Symbol]	ROAD
[Symbol]	RAILWAY
[Symbol]	SETBACK LINE
[Symbol]	BOUNDARY LINE
[Symbol]	...

Area land Utilization
 Dam Canal = 27.00 Ha
 Total = 35.00 Ha

Annexure- V

कार्यालय तहसीलदार तहसील-हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/794/प्रवा-3/2022
प्रति,

भोपाल दिनांक 28.10.2022

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड,
ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2022 एवं 12/2022 (सुभाष सी.पाण्डेय विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में।
संदर्भ - म.प्र.शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का आदेश दिनांक 02.08.2022।

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित शासन निर्देशानुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2022 एवं 12/2022 (सुभाष सी.पाण्डेय विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य) में दिनांक 15.07.2022 को पारित आदेश के परिपालन में भूमि का सीमांकन करने तथा अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने, जोड़ने के संबंध में बिन्दु क्रमांक 03 एवं 05 के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्रमांक-3 :- बाउण्ड्री एवं सीमांकन की वर्तमान स्थिति

सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक, संबंधित ग्राम पटवारी का दल गठित किया जाकर तहसील हुजूर क्षेत्रान्तर्गत केरवा जलाशय के डूब क्षेत्र से संबंधित ग्रामों का सीमांकन जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कराया गया। सीमांकन दल द्वारा सीमांकन उपरांत प्रतिवेदित किया है कि जलाशय के डूब क्षेत्र (एफटीएल) के अन्दर कोई अवैध निर्माण/अतिक्रमण नहीं पाया गया है।

बिन्दु क्रमांक-5 :- अतिक्रमण की पहचान एवं उसे हटाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही

ग्राम महुआखेडा की केरवा जलाशय हेतु अधिग्रहित भूमि खसरा क्रमांक 40/1 रकबा 270.530हे0 के अंश भाग, जो एफटीएल से बाहर है, लगभग 25-30 मीटर की दूरी पर लगभग 30 झोपडी बनी है, जिसमें लोग निवासरत हैं, जिसे सरोतीपुरा मोहल्ला के नाम से जाना जाता है एवं एक शासकीय विद्यालय भवन निर्मित है, जो संचालित है। जलाशय के डूब क्षेत्र (एफटीएल) के अन्दर कोई अवैध निर्माण/अतिक्रमण होना नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मय सीमांकन प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- यथोपरि

पृ0क्र0/795/प्रवा-3/2022
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय, भोपाल।
2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल
भोपाल दिनांक 28.10.2022

sd
तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल

प्रति ,

तहसीलदार महोदय,
तहसील हुजूर,

विषय - माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण भोपाल बेंच द्वारा पर क्र ०७/२०२२ एवं
१२/२०२२ (सुभाष सी पाण्डेय विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य) के
सम्बन्ध में प्रतिवेदन ।

सन्दर्भ- म .प्र शासन पर्यावरण विभाग मंत्रायल वल्लभ भवन भोपाल आदेश
दिनांक ०२/०८/२०२२

महोदय ,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में दिनांक १४/१०/२०२२ को
केरवा जलाशय डूब क्षेत्र से सम्बंधित ग्रामो के पटवारियों के साथ जल संशाधन
विभाग की और से श्री मुकेश गोयल (अनु.विभा अधिकारी) श्री सी के सिरोले
उपयंत्री की उपस्थिति में जलाशय के डूब क्षेत्र का सीमांकन किया गया । मौके पर
FTL के अन्दर कोई अवैध निर्माण / अतिक्रमण नहीं पाया गया । ग्राम महुआखेडा के
केरवा जलाशय हेतु अधिग्रहित भूमि खसरा नं ४०/१ रकबा २७० .५३० हे० के
अंश भाग पर जो FTL से बाहर लगभग 25-30 मीटर की दुरी पर लगभाग ३०
झोपडी बनी है जिसमे लोग निवासरत है जिसे सरोतीपूरा मोहल्ला के नाम से
जाना जाता है एवं एक शासकीय विद्यालय का भवन निर्मित है जो संचालित है ।

अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न - स्थल पंक्तिसा


सजस्य विरीक्षक

वृत्त...०५.....
तहसील हुजूर, जिला भोपाल


खाल पंचनामा


दिनांक - 14-10-2022

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता वर्गीकृत करते हैं कि खाल दिनांक 14-10-2022 को राजस्व निरीक्षण वृत्त-05 राजीवड़, हल्दा पत्तारी सं. 47 राजीवड़, 48 बेरखेड़ी बाज्यापत्त, 51-सोडोरी के साथ केशव प्रवास्य की ओर से सीके पर उपस्थित अशु. वि. अधिकाारी (जल संचालन वि.) एवं उपमंत्री (बाज्यापत्त) विभाग की उपस्थिति में केशव प्रवास्य के नक्शा के अनुसार सीमांकन किया गया। सीमांकन में पाया गया कि केशव प्रवास्य के FTL के अन्दर कोई अर्बेध निमित्त/ अतिक्रमण नहीं है। प्रवास्य के लगे ग्राम सोडोरी, बेरखेड़ी बाज्यापत्त, मुहाबपुरा, महुआखेड़ा एवं जतेहपुर डोहरा की अतिक्रमण मुक्तियों पर FTL के अन्दर कोई अर्बेध निमित्त/ अतिक्रमण नहीं पाया गया।

ग्राम महुआखेड़ा में केशव प्रवास्य हेतु अतिक्रमण मुक्ति क्र. सं. 40/ राजवा 270-530 हे. के अंडा भाग पर जो FTL से बाहर है लगभग 30 जोरड़ी लगी हुई है जिससे खान निवास करते हैं सुप्रेशन को सरतीपुरा के नाम से जाना जाता है। इसी मुक्ति पर शासकीय विद्यालय का अवन निमित्त है जो संजालित है।

पंचनामा सीके पर तैयार किया गया जिला बिल्ली पुरिह हम अक्षोहस्तक्षर करते हैं।


 (मुख्य अधिकारी)
 सहायक उपमंत्री
 जल संचालन विभाग
 मोहन सिंह लखन
 प.र. 7-47


 राजस्व निरीक्षण
 C.K. Sirode


 राजस्व निरीक्षण
 वृत्त... राज. नि. वृत्त-05
 तहसील हजर, जिला भोपाल

कार्यालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

क्र.416/तह./टी.टी.नगर/2022

भोपाल दिनांक 28.10.2022

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-5 पर्यावरण परिषद अरेरा कॉलानी भोपाल



विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2022 एवं 12/2022 (सुभाष सी.पाण्डेय विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य) के संबंध में जानकारी देने का आदेश दिनांक 02.08.2022

संदर्भ:-म.प्र.शासन,पर्यावरण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश दिनांक 02.08.2022

—00—

विषयांतर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2022 एवं 12/2022 (सुभाष सी.पाण्डेय विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य) में दिनांक 15.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में भूमि का सीमांकन करने तथा अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने,जोड़ने के संबंध में बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-
बिन्दु क्रमांक (3):- बाउन्ड्री एवं सीमांकन की वर्तमान स्थिति।

सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी का दल गठित किया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। गठित दल द्वारा प्रतिवेदित किया कि सीमांकन उपरांत टी.टी.नगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम चंदनपुरा पटवारी हल्का नंबर 95 कलियासोत डेम हेतु निर्धारित एफ.टी.एल.सीमा के भीतर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

तहसीलदार
राजधानी परियोजना
इज्जत चौराहा

MECC
29/10

कार्यालय तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.

क्रमांक 43 / तह. / कोलार / 2022

भोपाल, दिनांक 28 / 10 / 2022

प्रति

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड

ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी भोपाल



विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 07 / 2022 एवं 12 / 2022 (सुभाष सी. पाण्डेय विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य) के संबंध में जानकारी देने बावत।

संदर्भ:- म.प्र.शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश दिनांक 02.08.2022

—00—

विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 07 / 2022 एवं 12 / 2022 (सुभाष सी. पाण्डेय विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य) में दिनांक 15.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में भूमि का सीमांकन करने तथा अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने, जोड़ने के संबंध में बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्रमांक - (3) :- बाउण्ड्री एवं सीमांकन की वर्तमान स्थिति -

सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी का दल गठित किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। सीमांकन दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सीमांकन उपरांत तहसील कोलार अंतर्गत ग्राम दामखेडा प.ह.नं. 16 अंतर्गत कलियासोत डेम हेतु निर्धारित एफ. टी.एल. सीमा के भीतर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।


तहसीलदार
तहसील कोलार, भोपाल

तहसीलदार
तहसील कोलार
जिला-भोपाल (म.प्र.)


AEC

K
28/10/2022

RO M.P. POLLUTION CONTROL BOARD BHOPAL
Comparison of Dissolved Oxygen concentration of Kerwa Dam last 05 years (2017- Sept 2022)



	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-till sept 2022
ANNUAL MINIMUM	6.9	6.4	6.8	6	5.2
ANNUAL AVERAGE	7.9	7.56	7.93	7.55	8.68
ANNUAL MAXIMUM	8.80	8.9	8.3	9.1	11.6



Central Laboratory

**M.P. Pollution Control Board, Bhopal [M.P.]**

E/5, Arera Colony, Paryawaran Parisar, Bhopal – 462016

Ph. NO. 0755-2466191, email: cl_mppcb@rediffmail.com



TC-8568

Test ReportIssue No. **290**
Issue Date 07/10/2022

Report No.141/1-3

Sample from:

Reference No:

Sample Description

Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Bhopal.

Letter No.2817, Dated 28/09/2022

Water Samples

1. Water Sample at 13 Gate Bridge Kaliyasoat Dam Bhopal.

2. Water Sample Near Water Supply Intake well point Kerwa Dam Bhopal.

3. Water Sample from Kerwa Dam Near Village Kushalpur Bhopal.

Sample Container:

Polyethylene & Glass Bottle

Sample Volume:

3 x 2 ltr & 3x300 ml

Sampling by CL/ Customer:

Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Bhopal.

Sampling date:

28/09/2022

Received on:

28/09/2022

Date of Analysis:

28/09/2022

Sampling Method/Plan:

APHA, 23rd Edition, 2017 Method 1060

Environmental Condition:

Sunny

Preservation status:

Preserved as per Protocol

Visual Observations

1 Color

1. Colorless

2 Appearance

Clear

3 Odour

No Odour Observed

2.

Colorless

Clear

No Odour Observed

3.

Colorless

Clear

No Odour Observed

S. No.	Analyte Tested	Unit	Method No:- APHA, 23 rd Edition, 2017	Results 1	Results 2	Results 3
1.	pH	pH Unit	4500 pH ⁺ B	7.81	8.01	7.94
2.	Conductivity	µmhos/cm	2510 B	190.1	190.4	188.1
3.	Turbidity	NTU	2130-B	1.6	2.0	1.7
4.	Total Solid	mg/l	2540-B	122	138	132
5.	Total Dissolved Solid	mg/l	2540-C	108	122	112
6.	Suspended Solid	mg/l	2540 - D	14	16	20
7.	Chloride	mg/l	4500-Cl ⁻ B	10.84	8.88	7.88
8.	Dissolved Oxygen	mg/l	2540-C	5.7	6.0	5.6
9.	COD	mg/l	5220B	20	10	20
10.	Total Alkalinity	mg/l	2320 B	78	82	76
11.	P. Alkalinity	mg/l	2320 B	NIL	NIL	NIL
12.	Total Hardness	mg/l	2340 C	86	88	84
13.	Calcium Hardness	mg/l	3500 Ca B	54	46	44
14.	Magnesium Hardness	mg/l	2340 B	32	42	40
15.	Ammonical Nitrogen	mg/l	4500-NH ₃ F	BDL	BDL	BDL
16.	Nitrite	mg/l	4500-NO ₂ B	0.37	0.65	0.72
17.	Nitrate	mg/l	4500-NO ₃ B	2.08	2.32	1.58
18.	Phosphate	mg/l	4500-PD	0.01	0.08	0.01
19.	Sulphate	mg/l	4500 - SO ₄ ⁻² E	10.48	10.10	10.88
20.	Flouride	mg/l	4500 - FD	BDL	BDL	BDL
21.	Sodium	mg/l	3500 Na B	4.46	3.76	3.50
22.	Potassium	mg/l	3500 K B	1.16	0.58	0.61
23.	Boron	mg/l	4500-B B	BDL	BDL	BDL
24.	BOD	mg/l	IS 3025[Part 44]:1993[First Revision]	3.5	0.3	0.5

Remark : 1. No statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.

2. The results relate only to the items tested

3. The report shall not be reproduced except in full without permission of Incharge Central Laboratory, MP, Pollution Control Board, Bhopal.

4. Any other: BDL- Below Detection Limit.

(Dr. Alok Saxena)

Authorized Signatory

Chief Chemist

Central Laboratory MPPCB Bhopal

Page 1 of 2

Chandra
B
07/10/2022



Central Laboratory
M.P. Pollution Control Board, Bhopal [M.P.]
E/5, Arera Colony, Paryawaran Parisar, Bhopal – 462016
Ph. NO. 0755-2466191, email: cl_mppcb@rediffmail.com
Test Report

Report No.141/1-3
Sample from:
Reference No:
Sample Description

Issue Date 07/10/2022

Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Bhopal.
Letter No.2817, Dated 28/09/2022
Water Samples (NGT Case No.07/2022)
1.Water Sample at 13 Gate Bridge Kaliyasoat Dam Bhopal.
2.Water Sample Near Water Supply Intake well point Kerwa Dam Bhopal.
3.Water Sample from Kerwa Dam Near Village Kushalpara Bhopal.
Polyethylene & Glass Bottle
3 x 2 ltr & 3x100 ml
Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Bhopal.
28/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
APHA, 23rd Edition, 2017 Method-1060
Sunny
Preserved as per Protocol

Sample Container:
Sample Volume:
Sampling by Customer:
Sampling date:
Received on:
Date of Analysis:
Sampling Method/Plan:
Environmental Condition:
Preservation status:
Visual Observations

	1.	2.	3.
1. Color	Colorless	Colorless	Colorless
2. Appearance	Clear	Clear	Clear
3. Odour	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed

S. NO.	Analyte Tested	Unit	APHA, 23 rd Edition, 2017, Method Number	Results 1	Results 2	Results 3
1.	Appearance	-	-	Clear	Clear	Clear
2.	Color	(Hazens)	2120-B	20	10	10
3.	Odour	Threshold no	2150 B	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed
4.	Calcium	mg/l	3500Ca B	21.62	18.42	17.62
5.	Magnesium	mg/l	2340 B	7.77	10.19	9.71
6.	Fixed Dissolved Solid	mg/l	2540 E	#	#	#
7.	Total Kjeldhal Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} B	*	*	*
8.	SAR	-	-	0.34	0.26	0.30
9.	Total Coliform	MPN/100ml	9221-B	350	58	84

Remark: 1. No statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B
2. The results relate only to the items tested
3. The report shall not be reproduced except in full without permission of Incharge Central Laboratory, MP, Pollution Control Board, Bhopal.
4. Any other: * #- Instrument out of order.


(Dr. Alok Saxena)
Authorized Signatory
Chief Chemist

Central Laboratory MPPCB Bhopal
Page 2 of 2

End - of - Report

Chemist
R
02/10/2022

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल भोपाल

74 बंगला, खेल परिसर लिंक रोड, कं.-1 भोपाल फोन नं. 2674359 (कार्या.) मो.नं. 9424790552

E-mail sdoftbhopal@mp.gov.in

क्रमांक/शि0लि0-2/2604

भोपाल/दिनांक 28-10-2022

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड, भोपाल


विषय :- बीट मेण्डोरा वनक्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक किये गये वृक्षरोपण की जानकारी बावत्।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि वनमण्डल भोपाल अंतर्गत परिक्षेत्र समर्धा के बीट मेण्डोरा वनक्षेत्र में वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक निम्नानुसार वृक्षारोपण का कार्य कराया गया :-

क्र.	वर्ष	मद का नाम	स्थल का नाम	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हिक्ट. में)	पौध संख्या
1	2012-13	पर्यावरण वानिकी	वन महोत्सव क्षेत्र मेण्डोरा	राजस्व क्षेत्र	10.00	2000
2	2013-14	पर्यावरण वानिकी	मेण्डोरा वृक्षारोपण	राजस्व क्षेत्र	10.00	5400
3	2013-14	पर्यावरण वानिकी	मेण्डोरा वृक्षारोपण	राजस्व क्षेत्र	12.00	5500
4	2017-18	पर्यावरण वानिकी	मिश्रित वृक्षा. मेण्डोरा	राजस्व क्षेत्र	25.00	15000
5	2017-18	कैम्पा वैकल्पिक वृक्षा.	मेण्डोरा	राजस्व क्षेत्र	5.656	6000
6	2019-20	पर्यावरण वानिकी	चंदनपुरा (मेण्डोरा)	राजस्व क्षेत्र	20.00	8000
7	2022-23	ग्रीन इंडिया मिशन	चंदनपुरा (मेण्डोरा)	पी.एफ. -231	5.00	5000

अतः चाही गई जानकारी श्रीमान जी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, भोपाल


कार्यालय संचालक
म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी)
वाया तट कलियासोत बॉध, पो.बॉ. नं. 538,
रविशंकर नगर पो.ऑ., कोलार रोड, भोपाल-462016
E-mail: mpwalmi@gmail.com, Ph. No-0755-4082505

क. वाल्मी / डब्ल्यू-10 / सं.शाखा / 2022-23 / 1496

भोपाल, दिनांक: 29/04/2022

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



विषय:- कलियासोत रिजर्व वायर के अतिक्रमण के संबंध में।
संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 767, दिनांक 24.02.2022

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा कलियासोत बॉध के आस पास (कैंचमेंट एरिया) के क्षेत्र में, बोटनीकल गार्डन, वन क्षेत्र की जानकारी चाही गई थी। संबंधित जानकारी कलियासोत, डिवीजन, भोपाल से संबंधित है। संस्थान की भूमि की जानकारी निम्नानुसार है।

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------|
| 1. | कुल भूमि | -109.245 हेक्टेयर |
| 2. | इकोलॉजिकल पार्क की भूमि | -30 हेक्टेयर |
| 3. | हिलटॉप की भूमि | -79.245 हेक्टेयर |


प्रशासकीय अधिकारी
वाल्मी, भोपाल

पृ.क. वाल्मी / डब्ल्यू-10 / सं.शाखा / 2022-23 /
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक: /04/2022

- कार्यपालन यंत्री, कलियासोत डिवीजन, एम.पी.नगर, जोन-1 प्रेस कामप्लेक्स के पास, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- एस.डी.ओ., कलियासोत डिवीजन, एम.पी.नगर, जोन-1 प्रेस कामप्लेक्स के पास, भोपाल की ओर सूचनार्थ।



प्रशासकीय अधिकारी
वाल्मी, भोपाल

535 62
8/1/22


11/05/2022

कार्यालय पर्यावरण वानिकी वनमंडल, भोपाल

क्रं.	मद	वृक्षारोपण का नाम	वर्ष	पौधा संख्या
1.	नियमित	कलियासोत मंदिर के पास वृक्षारोपण	2017-18	400
2.	नियमित	मेंढोरा शमशान घाट	2013-14	1000
3.	नियमित	कलियासोत डेम के नीचे वालमी रोड साईड	2011-12	2000
4.		कैरवा से कलियासोत रोड साईड	2009-10	3000
5.		कलियासोत रोड साईड भाग-1	2009-10	5000
6.		कलियासोत रोड साईड भाग-2	2009-10	2000


 वनमंडलाधिकारी
 पर्यावरण वानिकी, वनमंडल
 भोपाल

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल भापाल

74 बंगला, खेल परिसर लिंक रोड, कं.-1 भोपाल फोन नं. 2674359 (कार्या.) मो.नं. 9424790552

E-mail sdofibhopal@mp.gov.in

क्रमांक/शि0लि0-2/2435

भोपाल/दिनांक 7-10-22

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड, भोपाल

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2022 व 12/2022 (सुभाष सी. पाण्डेय विरुद्ध म0प्र0 शासन व अन्य) के संबंध में जानकारी देने बावत्।

संदर्भ :- कार्यालय वनमण्डल भोपाल का पत्र क्र./विधि/7569 दि. 30.09.2022

--000--


उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2022 व 12/2022 (सुभाष सी. पाण्डेय विरुद्ध म0प्र0 शासन व अन्य) में दिनांक 15.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में भूमि का सीमांकन करने तथा अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने, तोड़ने की कार्यवाही शीघ्र किये जाने हेतु वन विभाग भोपाल से संबंधित बिन्दु क्रमांक-(9) एवं (10) के संबंध में चाही जानकारी निम्नानुसार है :-

बिन्दु क्रमांक-(9) :- बाघ के भ्रमण क्षेत्र की पहचान, सीमांकन तथा उसकी सुरक्षा - वनप्राणियों के पागमार्क, किये गये शिकार, पेड पर किये खरोंच, ट्रैप कैमरा, वनक्षेत्र में पशुओं को चराने वाले चारवाहों या ग्रामीणों से मिली जानकारी, ई-सर्विलेंस के माध्यम से प्राप्त जानकारी एवं वनक्षेत्र से निकलने वाले राहगीरों के बताये अनुसार बाघ के भ्रमण क्षेत्र की पहचान की जाती है। वन विभाग द्वारा बाघ विचरण क्षेत्र में मुनारा बनाया गया है साथ ही जिन क्षेत्रों में लगभग 12 महीने वन्यप्राणियों का विचरण ज्यादा रहता है वहाँ पर बाघ भ्रमण क्षेत्र की पहचान कर 12 फिट की जाली लगाकर फैंसिंग किया जाता है। बाघ भ्रमण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु जगह-जगह पर चेतावनी बोर्ड लगाये गये हैं, दिन में एवं रात्रि में गठित क्रेक टीम के द्वारा गश्ती किया जाना, वनमण्डल भोपाल के द्वारा बनाये गये रोस्टर के अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी से लेकर उपवनमण्डलाधिकारी स्तर के अधिकारियों के द्वारा वनस्टाफ के हमराह प्रत्येक माह में प्रत्येक दिवस रात्रि गश्ती किया जाना, ई-सर्विलेंस सिस्टम में

लगे 4 टावर, 1. मालाडोंगरी, 2. झिरी, 3. मिरियाकेट एवं 4. कालीखो द्वारा अपनी सीमा के अंदर की हलचल को कैमरे में कैद कर लेते हैं जिसके आधार पर बाघ भ्रमण क्षेत्र में वन्यप्राणियों के संरक्षण के कार्य किये जाते हैं। साथ ही बाघ मित्र, स्थानीय वनस्टाफ एवं वन सुरक्षा समितियों का सहयोग लेकर वन्यप्राणियों की सुरक्षा की जाती है।

बिन्दु क्रमांक-(10) :- जलाशयों के आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करने वाले जानवरों से मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रशासनिक संस्था द्वारा की गयी कार्यवाही - जलाशयों के आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करने वाले जानवरों से मानव जीवन की रक्षा के लिए रात्रि व दिन में क्लेक टीम के द्वारा पट्रोलिंग/गश्ती किया जाना, ई-सर्विलेंस सिस्टम में लगे 4 टावर, 1. मालाडोंगरी, 2. झिरी, 3. मिरियाकेट एवं 4. कालीखो के द्वारा वन्यप्राणियों की आवाजाही पर निगरानी रखना, वनमण्डल भोपाल द्वारा बनाये गये रोस्टर के अनुसार वन परिक्षेत्राधिकारी से लेकर उपवनमण्डलाधिकारी स्तर के अधिकारियों के द्वारा वनस्टाफ के हमराह प्रत्येक माह में प्रत्येक दिवस रात्रि गश्ती किया जाना, बाघ विचरण क्षेत्र में जगह-जगह पर चेतावनी बोर्ड लगाया जाना, व्यक्ति बाघ विचरण क्षेत्र में न घुसे इस हेतु 12 फिट की जाली लगाकर फेंसिंग किया जाना, साथ ही वनस्टाफ के द्वारा वनक्षेत्र में लगाये गये ट्रैप कैमरा के आधार पर वन्यप्राणियों की सुरक्षा की जाती है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित।




उप वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, भोपाल

भोपाल/दिनांक

पृ.क्रमांक/शि0लि0-2/

प्रतिलिपि:- श्रीमान वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।



उप वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, भोपाल